संयुक्तांक
जनवरी–फरवरी 2020

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बी.एस. जामोद

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल–462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755–4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

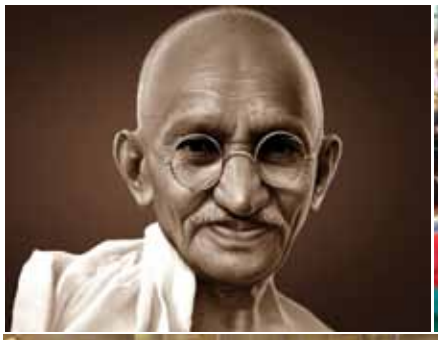

4 ▸ सबकी योजना सबका विकास लोक योजना अभियान
7 ▸ ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख घटक और चरण
8 ▸ दूसरा चरण पारिस्थितिकीय विश्लेषण
10 ▸ योजना निर्माण का तीसरा चरण
12 ▸ ग्राम पंचायत विकास योजना का चौथा चरण
15 ▸ ग्राम पंचायत विकास योजना का पाँचवां चरण
19 ▸ प्रदेश में मियावाकी तकनीक से डेंस फॉरेस्ट तैयार करेगा वाल्मी
21 ▸ नल–जल योजनाओं के लिये ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट क्यों है, जरूरी
27 ▸ मध्यप्रदेश में लोक चित्रों से स्वच्छता संवाद
29 ▸ मध्यप्रदेश में जैण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण प्रयास और प्रभाव
31 ▸ बाल हितैषी ग्राम पंचायत विकास योजना से पूरे हो रहे हैं नौनिहालों के सतरंगी सपने
33 ▸ कमजोर वर्ग का व्यवहारिक सशक्तिकरण है मध्यप्रदेश पंचायतों में आरक्षण
34 ▸ तरक्की की तकनीकें सिखा गया किसान मेला
36 ▸ त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019–20 पंचों/सरपंचों, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण
48 ▸ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में दिये जाने वाले पुरस्कारों के लिए अधिकाधिक नामांकन हेतु प्रचार–प्रसार

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका ग्रामीण अंचलों में हो रहे विकासात्मक कार्यों का दर्पण है। पत्रिका का दिसम्बर अंक पढ़ने को मिला। इस अंक में सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बारे में जानने को मिला। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण अंचलों में लोगों को घर बैठे विभिन्न शासकीय सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। राज्य शासन के इन प्रयासों से ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप मिल रहा है।

– शंकर सिंह चौहान
सीहोर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का दिसम्बर अंक पढ़ने को मिला। ग्रामीण विकास पर केंद्रित इस अंक में राज्य सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में पंचायत राज और ग्रामीण विकास की दिशा में किए गए कार्यों का सम्पूर्ण विवरण प्रकाशित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इसके अलावा मध्यप्रदेश पंचायिका के इस अंक में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यों को भी पढ़ने का अवसर मिला, पंचायिका के माध्यम से सरकार के महिला सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे प्रयास हम तक पहुंचे हैं।

– सुमन मालवीय
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का दिसम्बर माह का अंक पढ़ा। इस अंक में हमने जाना कि अब ग्राम पंचायतों द्वारा ई–भुगतान किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रख–रखाव में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निश्चित ही पारदर्शिता के साथ कार्यों में तेजी आयी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का भुगतान ई–पेमेंट से ही हो रहा है और सभी जानकारियाँ पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड की गयी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अब ग्राम पंचायतों में भी होने लगा है।

– प्रमोद भार्गव
शहडोल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का दिसम्बर माह का अंक देखा। इस अंक से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को जानने का अवसर मिला है। इस पत्रिका में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किये जा रहे विभिन्न कार्यों को क्रमबद्ध प्रकाशित किया गया है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम जानने को मिले। यह पत्रिका पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों–कर्मचारियों के मार्गदर्शन का सशक्त माध्यम है।

– विजय सोनी
सागर (म.प्र.)

बी.एस. जामोद
संचालक

प्रिय पाठको,

भारत गांवों में बसता है। ग्रामीण भारत के विकास और निर्माण में पंचायत राज व्यवस्था एक अहम कड़ी है। ग्रामीण विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतों के माध्यम से ही गांवों के समग्र विकास की परिकल्पना मूर्त रूप ले सकती है।

ग्रामीण विकास के लिये आधारभूत योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना। सबकी योजना, सबका विकास, लोक योजना अभियान के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गई। 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामसभा के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था अमला और ग्रामीणों का विकास योजना निर्माण का यह साझा प्रयास है।

इस अंक में विशेषकर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण से संबंधित जानकारी प्रकाशित की जा रही है। इसमें योजना निर्माण के प्रमुख अवयव तथा विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी भी शामिल है, जो निश्चित ही ग्राम पंचायत विकास योजना और उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझने में उपयोगी साबित होगी।

आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए पंचायतों में आरक्षण पर केंद्रित आलेख 'कमजोर वर्ग का व्यवहारिक सशक्तिकरण है मध्यप्रदेश में पंचायतों में आरक्षण' को प्रकाशित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिये वाल्मी ने अनूठा नवाचार किया है। इसे हमने नवाचार स्तंभ में प्रकाशित किया है। नल-जल योजनाओं के लिये पंचायतों में सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है, इस आलेख से आप सोशल ऑडिट की प्रक्रिया और आवश्यकता समझ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर विगत दिनों एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था इसकी रिपोर्ट ''मध्यप्रदेश में जेंडर संवेदी महिला सशक्तिकरण प्रयास और प्रभाव'' शीर्षक से प्रकाशित की गयी है।

इसी अंक में बाल हितैषी ग्राम पंचायत विकास योजना पर आयोजित कार्यशाला की जानकारी भी प्रकाशित की जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी पंचायत गजट में आपके मार्गदर्शन के लिये विभागीय आदेश प्रकाशित किये जा रहे हैं।

इस अंक में बस इतना ही, उम्मीद है कि पंचायिका का यह अंक आपके लिये उपयोगी और मार्गदर्शक रहेगा। कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

बी.एस. जामोद
संचालक, पंचायत राज

सबकी योजना सबका विकास
लोक योजना अभियान

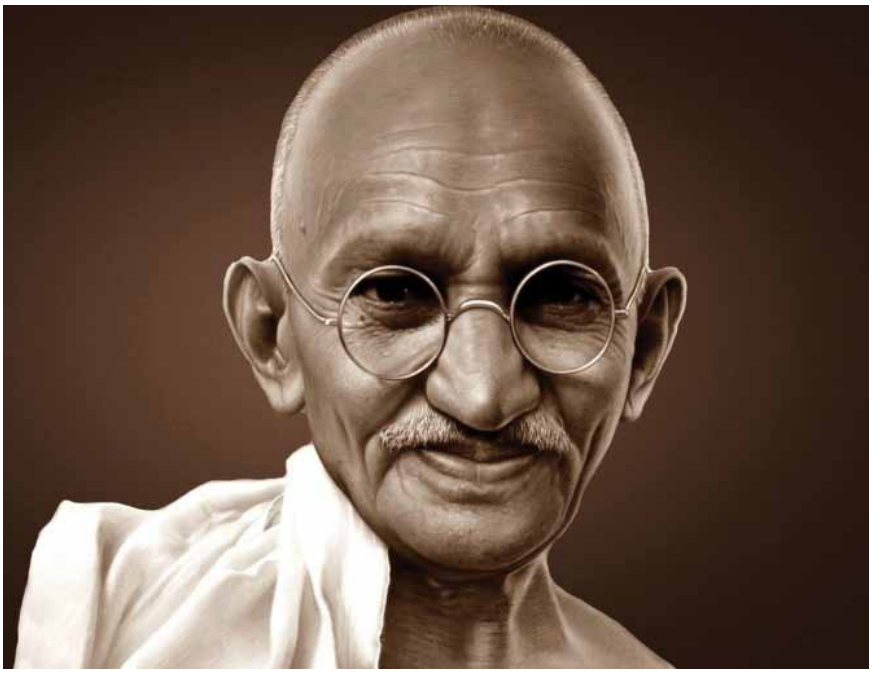

आज़ादी का अर्थ व्यक्तियों की आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमत की आज़ादी नहीं जो नीचे से शुरू होती है। हर गांव में अपना प्रजातंत्र हो, उनके पास अपनी पूरी सत्ता और ताकत हो, यह तभी संभव होगा जब हर गांव अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी-अपनी जरूरत खुद जाने और अपनी सत्ता का संचालन स्वयं करे। यह एक ऐसे समाज की, एक ऐसे ग्राम की रचना का संकल्प है, जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो तभी वह देश के स्वराज का आधार बनेगा यानी ग्राम स्वराज शब्द सार्थक होगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायत राज व्यवस्था का स्वप्न देखा था। पंचायत से उनकी अपेक्षा थी कि वे बच्चों को शिक्षा, गांव की सफाई, स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, अस्पृश्यों की स्थिति और दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। गांधी जी का कहना था कि पंचायतों के साथ सभी गांव वाले मिल-जुलकर अपने गांव के विकास और व्यवस्था में सहयोग करें। गांधी जी के इसी विचार और स्वप्न को आकार देते हुए संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया। प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और गांधी जी की कल्पना अनुरूप 'सबकी योजना सबका विकास' लोक योजना अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामसभा के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था अमला और ग्रामीण मिलजुलकर 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। यह विकास योजना संविधान की 11वीं अनुसची में शामिल 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों की योजनाओं को समाहित कर बनायी जा रही है। जिसके अंतर्गत 17 लाइन विभागों की योजनाओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है।

मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण

पंचायतों और ग्रामों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मिशन अन्त्योदय अंतर्गत 146 बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक पंचायत और ग्राम के लिए यह आंकड़ा उपलब्ध है। इसे वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। यह सर्वेक्षण फेसिलिटेटर द्वारा किया जाता है। इस हेतु फेसिलिटेटर का चयन जिला तथा विकासखंड स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण के लिये https://missionantyodaya.in/ma2019/loginpage2019.html वेबसाइट पर जाकर सर्वेक्षण को अपलोड करने का कार्य किया जाता है।

प्रत्येक पंचायत के लिए फेसिलिटेटर की नियुक्ति

इस बार के ग्राम पंचायत योजना अभियान में प्रत्येक पंचायत हेतु एक सहजकर्ता (फेसिलिटेटर) की नियुक्ति की गयी है। सहजकर्ता द्वारा पंचायतों में मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण करने का कार्य किया गया।

फेसिलिटेटर के कार्यों में

सर्वेक्षण करना, विशेष ग्रामसभा आहूत करवाना, सर्वेक्षण से निकल कर

आई कमियों का विश्लेषण कर ग्रामसभा में प्रस्तुत करना, मुख्य विभागों से समन्वय कर उनके प्रस्तुतिकरण में मदद करना, ग्रामसभा के दौरान अपनी रिपोर्ट www.gpdp.nic.in पर अपलोड करना, ग्रामसभा का जियो-टैग फोटो अपलोड करना आदि शामिल है।

प्रशिक्षण

फेसिलिटेटर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली GPPFT दलों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक विकासखंड से 4-5 मास्टर ट्रेनर्स को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाता है। यह मास्टर ट्रेनर, पंचायत स्तर के फेसिलिटेटर को प्रशिक्षण देते हैं।

वातावरण निर्माण गतिविधियां

सामाजिक गतिशीलता और ग्राम सभा में आने के लिए डोंडी की जाती है, पत्र दिये जाते हैं। लेखन, बैनर, पोस्टर्स, नुक्कड़ नाटक, रैली व अन्य जागरूकता कार्यक्रम किये जाते हैं।

कुल-मिलाकर योजना निर्माण में सभी का सहयोग होना जरूरी है और हर एक को लगना चाहिए कि इस योजना निर्माण में मेरा भी सहयोग है।

गांधी जी का मानना था कि वास्तव में भारत आजाद तभी होगा जब ग्राम स्वराज कायम हो। ग्रामीण अपने विकास के बारे में स्वयं सोचें, स्वयं निर्णय लें और स्वयं क्रियान्वित करें। उन्होंने लिखा है सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे गांव के लोगों को चलाना होगा। गांधी जी की इसी कल्पना और स्वप्न को मूर्तरूप देने के लिए सत्ता के लिए विकेन्द्रीकरण को अमल में लाया गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर योजना व सहयोग दल (GPPFT) का गठन

पंचायतों के सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम विकास योजना निर्माण के लिए प्राथमिक दल का गठन किया जाता है। इस दल में से वर्गीकृत करके भिन्न-भिन्न वार्ड योजना दल या ग्राम विकास योजना सहयोग दल का गठन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम में यह दल विषय वार अलग-अलग क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। इन दलों में शिक्षा व साक्षरता दल, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल दल, कृषि एवं आजीविका दल, सामाजिक सुरक्षा दल, तथा अधोसंरचना व विविध कार्य आदि सभी दल वातावरण निर्माण से लेकर योजना निर्माण तक पंचायत की सभी गतिविधियों में सहयोग करते हैं।

प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण व पारिस्थितिकीय विश्लेषण

पंचायतों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल व आजीविका जैसे मुद्दों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण किये जाने से मिलते हैं जैसे PRA, ट्रांसेक्ट वाक, समूह चर्चा इत्यादि, वहीं द्वितीयक आंकड़े जैसे किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े जैसे CENSUS, SECC, Department Data इत्यादि। इनके आधार पर पंचायत की सामाजिक, आर्थिक व मानव विकास की स्थिति पता लगती है जैसे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर, हर मौसम में क्षेत्र का मुख्य मार्गों से जुड़ाव, युवाओं में पढ़ाई का स्तर व रोज़गार की स्थिति, बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण

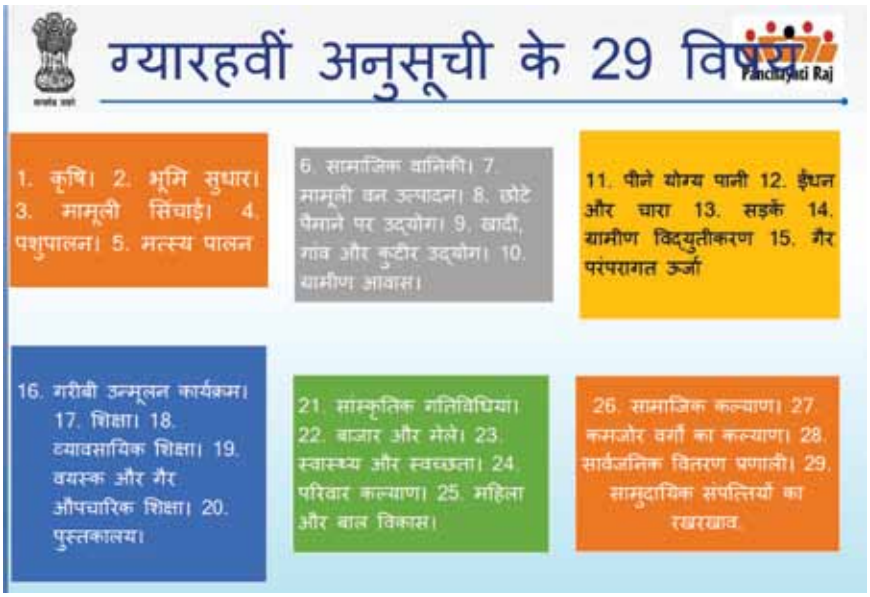

की स्थिति इत्यादि। इसी आधार पर ग्राम पंचायत की विकास स्थिति-रिपोर्ट बनायी जाती है।

पंचायत के विजन का निर्माण

पारिस्थितिकीय विश्लेषण के आधार पर पंचायतें व उनके ग्राम अपने-अपने विजन तथा लक्ष्य का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं से अलग होती है और इसमें ग्राम, पंचायत और क्षेत्र को अगले 5-10 वर्षों में कहां ले जाना है इस पर फोकस होता है तथा यह पंचायत के लोगों की आकांक्षाओं का दस्तावेज होता है।

इसमें ग्रामों की मुख्य समस्याओं, आकांक्षाओं की पहचान कर उन्हें समाधान करने और पाने के विभिन्न विकल्पों पर समुदाय द्वारा आपसी चर्चा की जाती है जिसमें समुदाय आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां तय करता है।

पंचायत के संसाधनों का आकलन

ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया से पहले सम्बंधित ग्राम पंचायत के बजट को जानना बहुत आवश्यक है, जिससे योजना निर्धारण के समय राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है।

कार्य योजना निर्माण

इस बार की कार्ययोजना पिछले वर्षों की तुलना में भिन्न है, इस बार एक ओर जहाँ सहभागिता पर विशेष ज़ोर दिया गया है वहीं विभागों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक योजनाओं की जानकारी और पात्रता के बारे में भी ज़ोर दिया जा रहा है। इस वर्ष आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों और उनके ग्राम संगठनों की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान में विशेष ग्रामसभा आहूत की गयी है जिसमें मॉडल प्रारूप का ध्यान रखा गया है।

ग्राम में विकास के मुद्दों (परिस्थिति विश्लेषण) पर विस्तृत चर्चा के बाद के ग्राम पंचायत के संसाधन (रिसोर्स एन्वेलप) को देखते हुए गतिविधियों का प्राथमिकीकरण किया गया है।

क्षेत्रवार गतिविधियों को लेते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गयी है इसमें उपलब्ध वित्तीय संसाधन और समय-सीमा को आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। योजना निर्माण करते समय गरीबों, वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम समूहों के क्षेत्रों वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। गतिविधियों की संभावित लागत को लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा योजना और क्षेत्रकों के नाम लिखे गए हैं। जिन गतिविधियों को समुदाय के स्तर पर पूर्ण किया जाना है ऐसी गतिविधियों को सामुदायिक गतिविधियों में लिया गया है।

निम्न मुख्य अवयव हैं
निर्मित कार्य योजना के

- सामुदायिक कार्य योजना - इसमें समुदाय के माध्यम से की जाने वाली कम बजट या शून्य बजट गतिविधियां ली जाती हैं।
- मूलभूत सेवाओं के कार्य - 14वें वित्त के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के कार्य हेतु किया जाना है।
- राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के कार्य
- विभिन्न विभागों के कार्य

वर्तमान में उपलब्ध प्लान प्लस पोर्टल आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी जगह की कार्ययोजना पूर्ण हो पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं।

प्लान प्लस पोर्टल

इस बार भारत सरकार द्वारा योजना निर्माण में इस पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। यह पोर्टल आपको किसी भी समय और कहीं भी आपकी योजना और उसकी प्रगति को देखने और विश्लेषण करने हेतु सुविधा देता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार भी पंचायतवार संसाधनों की जानकारी जन-जन तक पहुंचा सकती है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के वित्त की जानकारी इसमें डाल दी गयी है। इसमें गतिविधि निर्माण, संसाधनों का आवंटन और उसका अनुश्रवण सम्बद्ध हैं। इसे आप वेबसाइट www.planningonlive.gov.in पर देख सकते हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख घटक और चरण

ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण समाज के लिए, समाज की भागीदारी से उनके समग्र विकास के लिए तैयार की जाती है। इस योजना के निर्माण में प्रमुख घटक मानव विकास एवं सामाजिक विकास, ढांचागत विकास, पर्यावरणीय मुद्दे एवं आपदा प्रबंधन, आर्थिक विकास सहित आय एवं रोजगार के साधन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दे (व्यवहारिक पहलू) और सुशासन एवं समावेशन शामिल है। सबसे पहले योजना निर्माण के घटकों के आधार पर समस्याओं को विषयों से जोड़कर उन्हें संवेदित करना चाहिए जिससे कि योजना बनाते समय इन विषयों को प्राथमिकता से शामिल कर सकें। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय उसके प्रत्येक चरण पर चर्चा करना आवश्यक है जिससे पूरी योजना की प्रक्रिया पर समझ विकसित हो सकेगी। राष्ट्रीय और राज्य के दिशा-निर्देश के अनुसार योजना निर्माण के लगभग 10 चरण प्रस्तावित हैं, जिसमें तीन बार ग्रामसभा की बैठक तथा दो ग्राम पंचायत की बैठक का उल्लेख है। परन्तु योजना निर्माण की प्रक्रिया और समझ के लिए मुख्यत: 5 चरण उल्लेखित हैं। 1. वातावरण निर्माण (ग्रामसभा का आयोजन कर), 2. पारिस्थितिकीय विश्लेषण, 3. आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पहचान और प्राथमिकताओं का निर्धारण (ग्रामसभा का आयोजन कर), 4. ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण तथा ड्राफ्ट का विकास, 5. तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति (ग्राम सभा का आयोजन कर)। इस तरह ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए मुख्यत: पांच चरण और पांच प्रमुख घटक होंगे। इन पांच घटकों में 1. उद्देश्य, 2. समय-सीमा, 3. सबकी भागीदारी, 4. पारदर्शी और 5. समावेशी समाहित हैं।

पहला चरण वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधि के द्वारा वातावरण निर्माण पर समझ विकसित होना आवश्यक है। वातावरण निर्माण के पहले टास्क फोर्स प्रशिक्षण के बाद सरपंच सहित ग्राम पंचायत तथा सभी विभागों के पंचायत कर्मियों के साथ बैठक करके पूरी प्रक्रिया को साझा करें तथा ग्रामसभा की बैठक बुलाकर वातावरण निर्माण हेतु प्रक्रिया की शुरुआत करें। सबसे पहले आपस में चर्चा कर यह सुनिश्चित कर लें कि कौन-कौन सी और किन-किन गतिविधियों द्वारा योजना निर्माण की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके साथ ही संभावित योजना निर्माण की गतिविधियों पर चर्चा भी करें।

वातावरण निर्माण के उद्देश्य

ग्रामसभा के सभी सदस्यों तक ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण की सूचना पहुँचाना जिसके कि-

- नियोजन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

- समुदाय के सभी वर्गों विशेषत: वंचित वर्ग तथा (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला, पुरुष) की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
- समस्या ग्रस्त व्यक्ति तथा समुदाय समाधान को समझ सकेंगे।

उपयुक्त वातावरण निर्माण के लाभ

- योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सही नियोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
- स्थानीय लोगों विशेषकर वंचित समुदाय के दृष्टिकोण से समस्याओं और समाधानों के अधिक विकल्प सामने आने की संभावना बढ़ जाती है।
- समुदाय में ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरी प्रक्रिया के प्रति स्वामित्व का भाव जागृत होता है।
- पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, विकलांग, समुदाय आधारित संगठन, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं।
- समुदाय की यह समझ विकसित होती है कि सिर्फ सरकार या ग्राम पंचायत हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती, बल्कि विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान तथा भागीदारी आवश्यक है।
- व्यक्ति तथा समुदाय यह समझता है कि कई समस्याएं उनके अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार के कारण हैं और अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार को बदल कर उस समस्या को खत्म किया जा सकता है।

दूसरा चरण पारिस्थितिकीय विश्लेषण

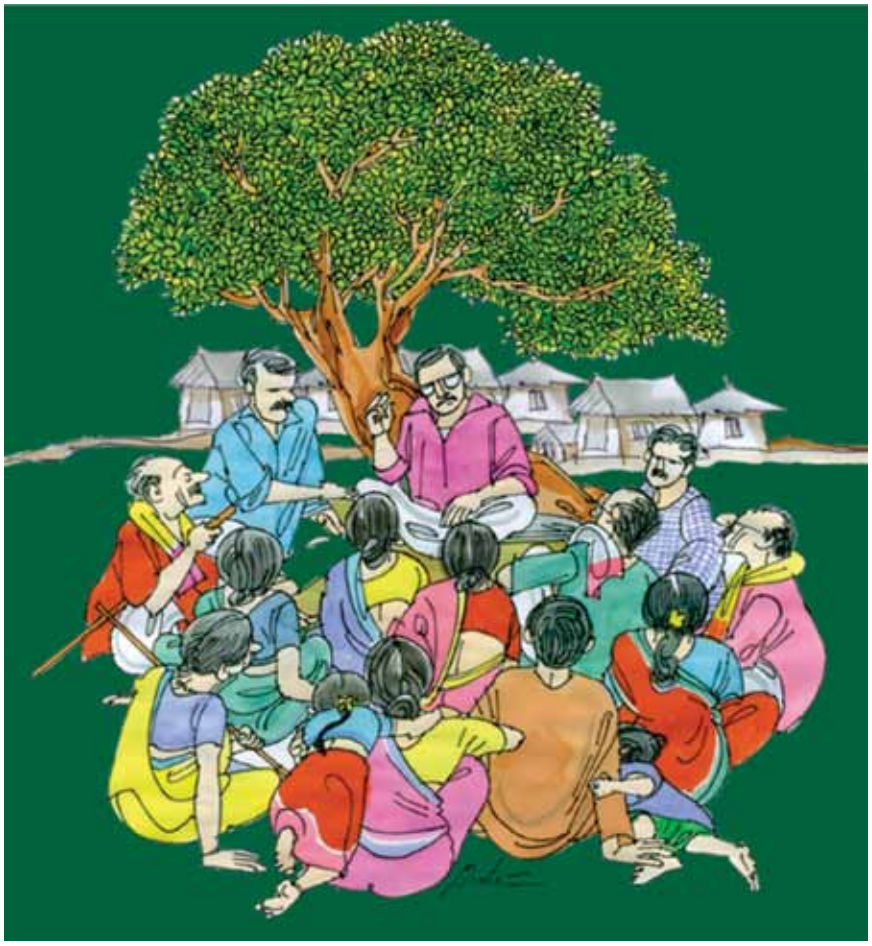

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिये इस चरण में पारिस्थितिकीय विश्लेषण किया जाता है। इसके तहत जिन प्रमुख विषयों तथा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उनमें शामिल है–

- पी.आर.ए. टूल्स का प्रयोग
- सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण
- ग्राम भ्रमण
- समूह चर्चा
- सर्वे

क्या करें– इसमें शामिल लोगों अथवा प्रतिभागियों को चार समूह में बांटा जाए जिसमें एक–एक विषय पर समूह चर्चा कराकर प्रस्तुतिकरण किया जाए उसके बाद उसे समेकित करते हुए इन पद्धतियों पर समझ विकसित करें।आपस में चर्चा करें कि गांव की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कहां–कहां से सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और ये सूचनायें क्यों जरूरी हैं। सूचनायें दो तरह से प्राप्त की जा सकती हैं। द्वितीयक स्रोत यानी कि विभिन्न विभागों जो ग्राम पंचायतों में काम करने के साथ उपलब्ध सूचनाएं जैसे आंगनवाड़ी, आशा एवं ए.एन.एम. के पास सूचनाएं होती हैं। दूसरा वो जिसे हम पी.आ.ए. टूल्स के माध्यम से संग्रहित करते हैं।

हाउस होल्ड सर्वे

हाउस होल्ड सर्वे में पंचायत के निवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियों के अलावा वहां निवासरत निराश्रित, विकलांग, विधवा, आपदा में पालायन करने वाले तथा पलायित परिवार तथा कुपोषित बच्चों तथा बुजुर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं।

ध्यान रखने वाली बातें

- किसी भी सर्वे में आवश्यकता अनुसार जानकारी ली जानी चाहिए।
- प्रारूप में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रयोजन आधारित होना चाहिए। जो समुदाय में हस्ताक्षेप में सहायक हों।
- जानकारियों को आंकड़ों के रूप में एकत्र करें। जिससे उनका संधारण सम्भव हो तथा विश्लेषण सरलता से किया जा सके।
- सर्वे के प्रारम्भ और समापन की समयावधि पूर्व निर्धारित हो और तय समय–सीमा में कार्य पूरा किया जाए।
- समुदाय से सीधे प्राप्त होने वाले ये आंकड़े ''प्राथमिक आंकड़े'' हैं।
- चयनित वार्ड सदस्य/स्व–सहायता समूह/समुदाय के स्वयं सेवी युवा समूह इस कार्य में सहभागी हो सकते हैं।
- संसाधनों की कमी के कारण ग्राम पंचायत के सभी मजरों में जाकर आंकड़े एकत्र करना कठिन है तो नमूने के तौर पर सभी मजरों के कुछ परिवारों से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं।

संसाधन मानचित्रण

रिसोर्स मैपिंग क्यों आवश्यक है

- गांव में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, नदी, झरना, पहाड़, खलिहान, नालाबंदी, मेड़ बंदी आदि की पहचान के लिए।
- जल स्रोत तथा बाढ़ एवं जल निकासी की दिशा की जानकारी के लिए।

हाउस होल्ड सर्वे में पंचायत के निवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियों के अलावा वहां निवासरत निराश्रित, विकलांग, विधवा, आपदा में पालायन करने वाले तथा पलायित परिवार तथा कुपोषित बच्चों तथा बुजुर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं।

- गांव की सार्वजनिक भू–सम्पत्ति व साधन, स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- प्रकृति या मानव निर्मित संसाधनों की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- जीविकोपार्जन के साधन जैसे फसल, पशु पालन, मछली, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बाग–बगीचा, रेशम, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसायों के चिन्हीकरण के लिए।

ध्यान रखें

- नक्शे के उद्देश्यों पर स्पष्टता से विचार–विमर्श हो जिससे समुदाय में शंका का भाव समाप्त हो जाये।
- गांव में उपलब्ध राजस्व नक्शे, कन्टूर के नक्शे, हवाई फोटोग्राफ्स (जो उपलब्ध हों) को भी देखें।
- मौजूदा सूचनादाताओं की संख्या और प्रतिनिधित्व में उनके सही अनुपात को गांव में उपलब्ध संसाधनों की चेकलिस्ट सूचनादाताओं के सहयोग से तैयार करें। संसाधन चित्रण के दौरान इस सूची के आधार पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करवाएं।
- संसाधन चित्रण की प्रक्रिया के दौरान विवादास्पद संसाधनों के बारे में ज्यादा खोज–बीन न करें।

मानचित्र प्रारम्भ करने से पूर्व की गतिविधियां

- तारीख, समय और स्थान का निर्धारण।
- समुदाय के हितग्राहियों की सूचना देना। मानचित्रण के लिए चाक, रंगीन पाउडर, सामग्री की व्यवस्था करना।

मानचित्रण प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियां

- समुदाय को प्रोत्साहित करना।
- समुदाय को प्रेरित करके सबसे पहले गांव की सीमाएं बनाना।
- सीमाएं बनाने के बाद विभिन्न अधोसंरचनाओं जैसे सड़क, पुल, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्र और पूजा स्थल आदि को नक्शे में उकेरना।
- बसाहट के प्रकार जैसे घरों की बसाहट, घर का प्रकार (कच्चा, पक्का, झोपड़) को नक्शे में उकेरना।
- अन्य सामाजिक संस्थान को, जैसा समुदाय द्वारा बताया जाए।

सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण पूर्ण करने के बाद की गतिविधियां

- समुदाय की आवश्यकताओं और मांगों की पहचान करना।
- समुदाय की सहायता से आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय करना।

ग्राम भ्रमण क्यों आवश्यक

- संसाधन मानचित्रण में हमें प्राय: संख्यात्मक जानकारियां प्राप्त होती हैं लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता और उपयोगिता के सम्बन्ध में प्राय: बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं।
- ग्रामीणों के समूहों के साथ ग्राम भ्रमण के दौरान हमें प्रत्यक्ष रूप से गांव वालों के नजरिये से सभी संसाधनों और उनके आस–पास के परिवेश को देखने और अनुभूत करने का मौका मिलता है।
- ग्राम भ्रमण से हमें एक अन्तर्दृष्टि प्राप्त

होती है। ग्राम भ्रमण में ग्रामीणों के समूहों के साथ गांव की एक दिशा से दूसरी दिशा तक भ्रमण किया जाता है।

- समूह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संसाधनों और स्थितियों का निरीक्षण करना, उन संसाधनों और स्थितियों के बारे में ध्यानपूर्वक सुनना, विचार–विमर्श करना और उसको एक नक्शे के रूप में प्रस्तुत करना ग्राम भ्रमण का उद्देश्य होता है।
- भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की परिस्थिति, उपयोग संबंधी समस्याओं और उनके निराकरण के लिए किए गए प्रयासों तथा भविष्य में किए जा सकने वाले प्रयासों की चर्चा करते हैं।

ग्राम भ्रमण की प्रक्रिया

- भ्रमण में सहभागी के रूप में साथ आने वाले ग्रामीणों का चयन किया जाता है, फिर गांव के मानचित्र से भ्रमण मार्ग का निर्धारण करते हैं। भ्रमण में शामिल स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थान विशेष पर उपस्थित लोगों को बातचीत में शामिल करते हैं। यह बातचीत, स्थानीय लोगों के साथ एक छोटी मीटिंग का रूप ले सकती है।
- प्राप्त जानकारियों को सारणी के रूप में लिपिबद्ध करना है। (क्षेत्र सम्बन्धी विशेषताओं को दिखाने हेतु चित्रों का उपयोग भी किया जा सकता है।)

ग्राम भ्रमण के लाभ

- ग्राम पंचायत में परिसम्पत्तियों के निर्माण और सुधार की जरूरतों का पता लगता है।
- उपलब्ध संरचनात्मक ढांचे को जांचने और उसके सुधार की जरूरतों का पता लगता है।

योजना निर्माण का तीसरा चरण

आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिये आवश्यक है कि स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं को पहचाने, तभी उन्हें योजना में शामिल किया जा सकता है और समस्या को हल किया जाना संभव है। योजना निर्माण के तीसरे चरण में गांव की आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान के लिये समझ विकसित की जाती है। इस चरण में समस्याओं की प्राथमिकता का निर्धारण किन आधारों पर किया जाए इस पर भी समझ विकसित की जाती है।

क्या करें :

सबसे पहले पारिस्थितिकीय विश्लेषण के बाद निकली समस्याओं की सूची बनाएं फिर पेअर मैट्रिक्स आदि विधियों के प्रयोग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण करें।

ग्राम पंचायत की पारिस्थितिकीय विश्लेषण के लिए विभिन्न टूल्स का प्रयोग करें इन टूल्स के प्रयोग से जो भी समस्याएं

प्राथमिकता निर्धारण का दूसरा तरीका है पेअर मैट्रिक्स। जिसे प्राथमिकता निर्धारण के लिए छोटे समूह में प्रयोग किया जा सकता है।

जैसे परिकल्पना कीजिए कि ग्राम पंचायत में पांच समस्याएं निकल कर आईं। जैसे: स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सफाई नाली निर्माण।

अब इन पांच विषयों में प्राथमिकता तय करनी है, तो पेअर मैट्रिक्स से आसानी से किया जा सकता है।

विषय	1 स्वास्थ्य	2 शिक्षा	3 पेयजल	4 सफाई	5 नाली निर्माण
1. स्वास्थ्य		1	1	1	1
2. शिक्षा			3	4	2
3. पेयजल				3	4
4. सफाई					4
5. नाली निर्माण					

हमारे पास जो पांच समस्याएं निकल कर आई हैं उन्हें उपरोक्त चार्ट में वर्टीकल एवं होरिजेंटल भरें और उनको क्रम से लिखें। छोटे समूह में क्रमश: दो विषयों के जोड़े को लेकर सवाल पूछें और उनके बताये अनुसार भरें। अंत में आप देखेंगे कि आपके पास एक प्रकार की लिस्ट तैयार हो गयी। अब यह देखें कि कितनों लोगों ने इसे दोहराया। उपरोक्त चार्ट में लोगों ने स्वास्थ्य को ज्यादा बार दोहराया है, अर्थात् 1 नम्बर पर स्वास्थ्य को रखा गया है। चार बार आया है तो, यह पहली प्राथमिकता हो गई और। संख्या 4. जिस पर सफाई वार्णित है वो तीन बार आया है तो वह दूसरे नम्बर की प्राथमिकता हो गयी और अंत में सबसे कम प्राथमिकता नाली निर्माण को मिली अर्थात् उपरोक्त तालिका के माध्यम से छोटे समूह में प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सकता है।

इसके बाद इस विषय पर भी चर्चा करें कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें लागत की आवश्यकता या तो नहीं है या बहुत ही कम लागत से भी किया जा सकता है। जिसे योजना निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए।

निकल कर आयें, उन्हें एक फार्मेट पर समेकित कर लिखें। जिससे कि गांव की पूरी समस्याओं को एक जगह लाकर आगे की प्रक्रिया अर्थात् प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके। हम सभी यह जानते हैं कि जितनी भी समस्याएं पारिस्थितिकीय विश्लेषण से निकल कर आई हैं, उनको एक वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निर्णय लेना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जरूरी विषयों को ही पहले साल में लें। अत: उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको समस्याओं में से प्राथमिकता को निकालना होगा इसको निकालने के लिए दो तरीके अपनाने होंगे।

प्राथमिकता का चयन कैसे करें

Participatory Rural Appraisal (PRA) टूल्स के माध्यम से गांव की पारिस्थितिकी विश्लेषण के फलस्वरूप अलग–अलग क्षेत्र की समस्याएं लिखें ताकि प्राथमिकता निर्धारित की जा सकें। प्रारूप पर आये विषयों को प्राथमिकता का निर्धारण करने हेतु सबसे पहले यह देखें कि–

- ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित समाहित हो।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में हो।
- महिलाओं और बच्चों के हित में हो।
- समस्या गंभीर प्रकृति की हो।
- बजट की उपलब्धता हो।
- जो स्थानीय स्तर पर समुदाय की जरूरत हो।

कम लागत अथवा बिना लागत के कार्यों की सूची

- सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन गोली का सेवन, टी.टी. के टीके लगना और सारी आवश्यक गर्भ जांच।
- सभी को संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना।
- नवजात को तुरंत एवं लगातार स्तनपान सुनिश्चित करवाना।
- सभी बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण।
- गांवों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी बच्चों का पंजीकरण एवं उपस्थिति।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध पूर्व शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति।
- कोई भी बच्चा न स्कूल छोड़े और न निकाला जाए।
- स्कूलों में शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- कोई बच्चा किसी आर्थिक लाभ या अन्यथा किसी प्रकार के काम में सलंग्न न हो (बाल श्रमिक न हो)।
- स्वयं अथवा सरकार की सहायता से प्रत्येक घर में शौचालय की उपलब्धता और नियमित उपयोग (खुले में शौच से मुक्त पंचायत)।
- कचरे के निपटान हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन, पंचायतों को स्वच्छ रखना।
- जनहित के कार्यों में जन सहयोग और श्रमदान सुनिश्चित करवाना।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे कि दहेज़ प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा तथा नशे की लत आदि में व्यवहार परिवर्तन संचार करना।

मुख्य बिन्दु

- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्धारण में समुदाय के वंचित समूहों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों से जुड़े मुद्दे, कम लागत और बिना लागत वाले मुद्दे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दे और उनके समाधान प्राथमिकता पर आ जाएं।

ध्यान रहे

- कॉलम में जानकारियां भरते समय सचेत ओर संवेदनशील रहें।
- किसी भी सेक्टर में आंकड़ों का विश्लेषण वंचित समुदाय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
- ये जानकारियां ग्रामीण सहभागी आकलन के लिए इस्तेमाल की गई सभी तकनीकों से सामने आई मैदानी तथा जमीनी हकीकतों, आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभवों के आधार पर भरी जाएं।
- गुणात्मक जानकारियों तथा ग्रामीण सहभागी आकलन की विभिन्न तकनीकों के उपयोग के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का दस्तावेजीकरण सही प्रकार से किया जाना जरूरी है।
- पारिस्थितिकीय विश्लेषण से पांचों क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है।
- वर्तमान में चल रही योजनाओं, योजनाओं का कवरेज और क्रियान्वयन की गुणवत्ता का भी विश्लेषण किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर पर संकलित और विश्लेषित पांचों क्षेत्रों की स्थिति की तुलना राष्ट्रीय/राज्य/जनपद स्तर के आंकड़ों से करना जरूरी है।
- इस प्रक्रिया से राष्ट्र, राज्य और जनपद की स्थितियों और पंचायत की स्थितियों का अंतर पता चलता है।
- इस अंतर के आधार पर पंचायत के स्तर को गंभीर, सामान्य और यथोचित की श्रेणी में बांट सकते हैं।
- ग्राम पंचायत में एकत्र एवं विश्लेषित आंकड़ों को ड्राफ्ट रिपोर्ट का रूप दिया जाना जरूरी है।

ग्राम पंचायत विकास योजना का चौथा चरण

इस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है –

ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों पर समझ विकसित की जाती है। इसके साथ ही प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ड्राफ्ट प्लान विकसित करने पर समझ विकसित कराना है। ग्राम पंचायतों को कहां–कहां से आय प्राप्त होती है तथा पंचायत स्तर पर कौन–कौन से विभागों द्वारा कर्मी नियुक्त किये गए इस पर चर्चा कराना एवं इनकी मदद कैसे ली जा सकती है इसकी योजना बनाना। इसी चरण में फार्मेट पर उलपब्ध संसाधनों के आधार पर ग्राम पंचायत की विकास योजना के प्रारूप पर चर्चा भी होगी।

क्या करें

इस सत्र में दो गतिविधियों पर चर्चा की जाये। पहला पंचायत में उपलब्ध संसाधन (वित्तीय एवं मानवीय संसाधन) के सापेक्ष (आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं) को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट पालन कैसे तैयार करें। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाए। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों का आकलन मुख्य रूप से किया जाये। किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी आकलन किया जाना चाहिए।

पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने से यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा कि उनके आधार पर संचालित किए जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। मानव संसाधन के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं अन्य मानव संसाधन जैसे कि एस.एच.जी. सेवानिवृत्त कर्मचारी इत्यादि का भी सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए तथा क्रियान्वयन में योगदान लिया जाए।

रिसोर्स एनवेलप का निर्धारण

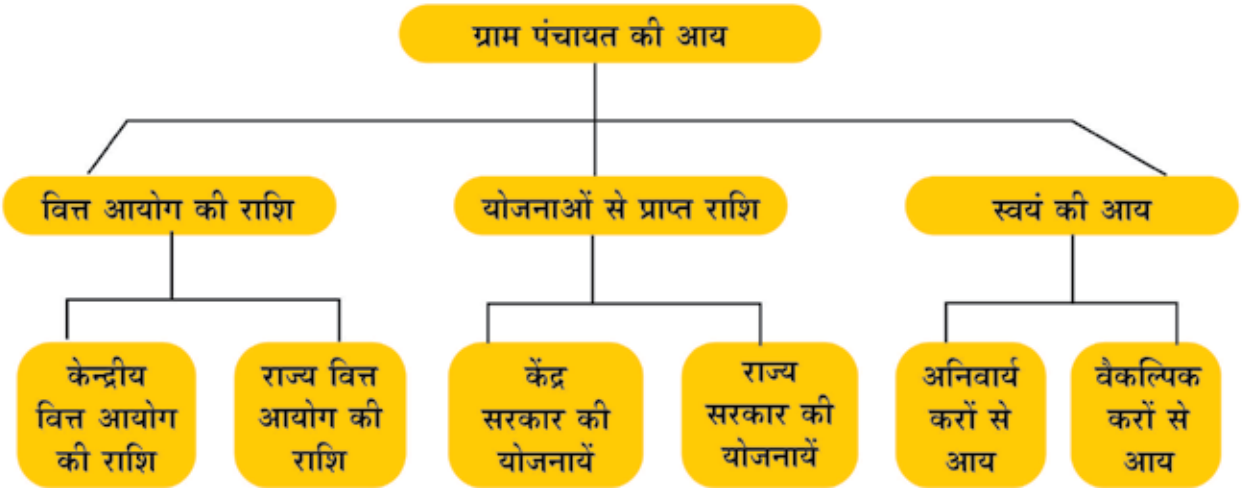

ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया से पहले सम्बंधित ग्राम पंचायत के बजट को जानना बहुत आवश्यक है। जिससे योजना निर्धारण के समय राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों के विकास की कई योजनायें संचालित की जाती हैं, वर्तमान में कई योजनाओं का पैसा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, श्रमिकों का मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं का भुगतान सीधे उनके बैंक खातें में आता है। कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मरनेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे पंचायतों को प्राप्त हो रही है। पंच परमेश्वर योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत की वार्षिक आमदनी का आकलन

ग्राम पंचायत का नाम.....ग्राम पंचायत में शामिल ग्राम संख्या.....

जनपद पंचायत का नाम.....जिला पंचायत का नाम.....

क्र.	ग्राम पंचायत की आय के स्रोत/योजनाएं	वर्ष 2017 - 18 वास्तविक व्यय राशि	वर्ष 2018 - 19 में अनुमानित आय	रिमार्क
	वित्त आयोग से प्राप्त आमदनी			
1.	केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि (14वां वित्त आयोग)			
2.	राज्य वित्त आयोग (पंच-परमेश्वर)			
	केन्द्रीय योजनाओं से प्राप्त आमदनी			
1.	रोज़गार गारंटी अधिनियम			
2.	ग्रामीण विकास विभाग			
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना			
4.	स्वच्छता अभियान कार्यक्रम			
5.	केन्द्रीय पेंशन योजनायें			
6.	नल-जल योजना			
7.	सर्व शिक्षा अभियान			
8.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन			
9.	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
10.	अन्य योजनायें.....			
11.	अन्य योजनायें.....			
	राज्य योजनाओं से प्राप्त आमदनी			
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन			
2.	मुख्यमंत्री आवास योजना			
3.	मुख्यमंत्री मजदूर योजना			
4.	अन्य योजनायें.....			
5.	अन्य योजनायें.....			
	जिला एवं पंचायत सेक्टर की योजनाओं से प्राप्त आमदनी			
1.	योजना का नाम			
2.	योजना का नाम			
	जन प्रतिनिधि क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य अनुदान			
1.	विधायक निधि			
2.	सांसद निधि			
3.	अन्य अनुदान.....			
	पंचायत की स्वयं की आय से प्राप्त आमदनी			
1.	जलकर/प्रकाश कर			
2.	जनभागीदारी			
3.	अन्य कर			
	अन्य स्रोतों से आमदनी			
1				
2.				
	महायोग			

2. वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है।

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाए जाने से प्राप्त धनराशि)
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि।
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि।
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि।
- सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि।
- निजी पूंजी से प्राप्त धन राशि।
- पंचायत घर निर्माण।
- अन्य संसाधन यदि कोई हों।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का दो स्वरूप दिखायी देता है, पहला टाइड तथा दूसरा अनटाइड–

टाइड फंड : वह फंड जिसे समिति मत में ही किया जा सकता है अर्थात् यह पहले कहां खर्च किया जाएगा यह पहले से निर्धारित होता है जैसे :

स्वच्छ भारत मिशन
पंचायत भवन
अन्त्येष्टि स्थलों का विकास
सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन नाली

अनटाइड फंड : यह वह फंड है जिसके लिए समिति मत नहीं होता है, अर्थात् कई विकल्प होते हैं।

जहां ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर सकती है :

चौदहवें वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग
राजस्व से प्राप्तियाँ
सी.एस.आर. गतिविधियां
वी.एच.एस.एन. फण्ड

मनरेगा में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि।

ग्राम सभा में चर्चा हेतु ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रारूप

ग्राम पंचायत का नाम :.....

क्षेत्र पंचायत का नाम :.....

जिला पंचायत का नाम :.....

वर्ष :.....

क्रम	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्र	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित धन राशि	अवधि	लाभार्थी अंश	योजना का परिव्यय (सामान्य/एससीएस)

ग्राम पंचायत विकास योजना का पाँचवां चरण

इस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं आगे की क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा शामिल है।

क्या करें

- यहां पर ग्राम पंचायत से जिले स्तर तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की क्या परिसीमाएं हैं इस पर चर्चा कराना।
- ड्राफ्ट पालन का ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुतिकरण, अनुमोदन एवं आगे की रणनीति पर चर्चा कराना।
- संबंधित विभागों के कर्मियों की सहायता से परियोजना बनाई जाती है और बजट का आकलन भी किया जाता है।
- राज्य के मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राम पंचायत से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जाती है।
- राज्य की मार्ग निर्देशिका के अनुसार तकनीकी सेल, अफसरों से तकनीकी स्वीकृति ली जाती है।

परियोजना निर्माण में निम्नलिखित अवयवों (अंशों) का होना आवश्यक है, जैसे कि–

- परियोजना का शीर्षक।
- पारिस्थितिक विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर परिचय – पृष्ठभूमि और परियोजना का सारांश।
- परियोजना का विवरण।
- परियोजना का उद्देश्य।
- परियोजना का स्थान।
- परियोजना के अंश एवं गतिविधियों का विवरण।
- बजट–लागत और फंड का स्रोत–परियोजना के अंशवार लागत और फंड का विवरण।
- समयावधि और कार्ययोजना–परियोजना के क्रियान्वयन का कैलेण्डर।
- क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था।
- अपेक्षित परिणाम – ग्रामसभा के निर्णयों के आधार पर लाभार्थी/लाभान्वित क्षेत्र।
- कार्यवाही और रख–रखाव–कार्यवाही और रख–रखाव की प्रणाली।
- अनुश्रवण– अनुश्रवण के सूचक और अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित पद्धति।

परियोजना निर्माण का प्रारूप जिसे प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी की स्वीकृति के लिए प्रयोग किया जाएगा।

ग्राम पंचायत का नाम :

परियोजना का प्रकार :

विकास का क्षेत्र :

शीर्षक :

क्र.	संख्या	विषय
1.	परिचय	
2.	विवरण	
3.	उद्देश्य	
4.	अपेक्षित परिणाम दूरगामी परिणाम	
5.	स्थान	
6.	परियोजना के अवयव (अंश)	
7.	क्रियान्वयन योजना क्रियान्वयन हेतु संस्था	
8.	अनुश्रवण प्रणाली	
9.	बजट	
10.	समयावधि	

ग्रामसभा में ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुमोदन की गतिविधियों की चर्चा पर प्रस्तुतिकरण

- ग्रामसभा की बैठक में विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट का वाचन करना अथवा पढ़ा जाना।
- यह वाचन पंचायत नियोजन समिति के सदस्यों या स्रोत समूह के सदस्यों अथवा कार्यवाही समूह के सदस्यों द्वारा पढ़ा जाए।
- पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा, सम्पर्क और जन स्वास्थ्य आदि मानव विकास संवेदी मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाए।
- इस वाचन के आधार पर ग्रामसभा पाचों क्षेत्रों के मुद्दों पर विचार–विमर्श करे और उनमें सुधार के लिए विकास की एक समग्र परिकल्पना का निर्माण करे।

  यह परिकल्पना इस बिन्दु पर केन्द्रित हो कि ग्राम सभा अपनी पंचायत को 5–10 साल बाद किस रूप में देखना चाहती है। विशेष रूप से :
- स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में।
- महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में।
- अति गरीब और वंचित वर्गों के संबंध में।
- दिव्यांग तथा बहु बाध्यता वाले लोगों के संबंध में।
- इस प्रकार के मुश्किल और कठिन मुद्दों की पहचान करना जिन्हें प्राथमिकता में लेना जरूरी है।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एनवेलप पर चर्चा।
- रिसोर्स एनवेलप की कमियां और विकास की जरूरतों को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा।
- उपरोक्त सूचनाओं और विगत सत्र के दस्तावेजों के आधार पर उन्हें ''विकास की स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट (DSR) का प्रस्तुतिकरण करना है।

परियोजना निर्माण के बाद

- परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है।
- तकनीकी सेल अफसरों को तकनीकी अनुमोदन के लिए पत्र भेजा जाता है।
- तकनीकी अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है।
- ग्रामसभा के दौरान प्राथमिकीकरण की सूची का मिलान करते हुए ग्राम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- तकनीकी अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत योजना की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- अंतिम अनुमोदन से पहले ग्राम पंचायत समिति को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि योजना का निर्माण लिए गए निर्णयों के अनुरूप है।

ग्राम पंचायत समिति की बैठक के लिए क्या जरूरी है

- बैठक में ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो।
- जिन विभागों के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन होना है, उन विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित हो।
- स्रोत समूह के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे हर जिज्ञासा का उत्तर दिया जा सके।
- ग्रामसभा द्वारा किए गए प्राथमिकीकरण की तुलना और चर्चा की जा सके।
- ग्राम पंचायत कमेटी द्वारा परियोजना और बजट का अनुमोदन हो।
- बैठक के दौरान हुई चर्चा को रिकॉर्ड किया जाए। उसकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है।
- बैठक के अन्त में निर्णयों को सभी को पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए और उस पर सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए।
- ग्रामसभा के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लिया जाना चाहिए।
- इस बैठक में परियोनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनके अनुश्रवण की प्रक्रिया के संबंध में ग्राम सभा के सभी सदस्यों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
- अनुमोदित योजना को प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना।

ग्रामसभा से अनुमोदन के पूर्व कुछ गतिविधियां

- वातावरण निर्माण की गतिविध में ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में समुदाय को भागीदारी के लिए प्रेरित करने हेतु ग्रामसभा की बैठक के स्थान पर बैठने, साउंड सिस्टम, पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- ग्रामसभा में भाग लेने के लिए संबंधित विभागों को सूचना भेजना।
- गांव वालों को ग्रामसभा में भागीदारी के लिए सूचना भेजना।

ग्रामसभा से अनुमोदन के दौरान गतिविधियां

- ग्रामसभा की बैठक में ग्राम पंचायत

गतिविधि

- **टास्क फोर्स के प्रशिक्षित सदस्यों की सरपंच और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक करना ताकि प्रशिक्षण की बातों को साझा किया जा सके।**
- **ग्राम सभी की बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में चर्चा करना तथा पूरी प्रक्रिया को साझा करना।**
- **द्वितीयक डाटा का कलेक्शन के द्वारा आगामी पी.आर.ए. टूल्स के माध्यम से निकली स्थिति की तुलना कर वास्तविक स्थिति निकालना।**
- **पारिस्थितिकीय विश्लेषण पारिवारिक जांच सामाजिक संसाधन समूह चर्चा।**
- **उपरोक्त स्रोतों से निकले बिन्दुओं को समेकित करना एवंसूचीबद्ध करना।**
- **संसाधनों की उपलब्धता का विवरण एवं संकलन।**

विकास योजना एवं परियोजनावार विवरण का प्रस्तुतिकरण।

- तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा।
- ग्रामसभा द्वारा योजना का अनुमोदन।
- बैठक की गतिविधि रिपोर्ट तैयार करना। इस बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्लान प्लस पर इस बात की पुष्टि हेतु अपलोड की जाती है कि यह कार्य योजना सबकी सहभागिता एवं ग्रामसभा के अनुमोदन के साथ बनाई गई है।
- ध्यान रखें कि योजना को क्रियान्वित करने वाले सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य और विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।

ग्रामसभा से अनुमोदन के बाद की गतिविधियां

- क्रियान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप देना।
- परियोजना के तकनीकी अनुमोदन के लिए पहल करना।
- ग्रामसभा के दौरान लिए गए निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।
- अनुमोदित योजना को जिला एवं ब्लॉक पंचायत को जानकारी/धनराशि का विवरण शामिल हो, को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण क्रियान्वयन

यह सुनिश्चित करना कि योजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है।

- ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- परियोजना के प्रारम्भ होने के समय गांव वालों के साथ चर्चा करना चाहिए।
- सामग्री का उपार्जन पारदर्शी और बराबरी के तरीके से हो।
- मजदूरों को काम उपलब्ध कराना (कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल-मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची द्वारा)।
- प्रतिदिन के मास्टर रोल पर उपस्थिति।
- कार्य का निरीक्षण।
- कार्य/सामग्री का नाप-जोख और निरीक्षण और एम.बी. में लिखना/दर्ज करना।
- नियमानुसार मजदूरों की मजदूरी पर भुगतान करना।
- विक्रेता को बिलों के आधार पर भुगतान करना।
- संबंधित एकाउन्ट और रिकॉर्ड का ब्यौरा रखना।
- कार्य पूर्ण के पश्चात कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार करना।

अनुश्रवण

- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा तथा प्लान-प्लस सॉफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्य योजना को अपलोड

टास्क फोर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य

प्रशिक्षण पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्य–

1. सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक एवं चर्चा–

- सरपंच एवं समिति सदस्यों को प्रशिक्षण के सत्रों की जानकारी देना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी देना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना पर ग्रामसभा को जानकारी देने हेतु रणनीति तैयार करना।
- ग्रामसभा में प्रस्तुतिकरण हेतु जिम्मेदारी तय करना।
- ग्रामसभा की बैठक हेतु एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा।
- चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत में उपस्थित विकास के मुद्दों की सूची तैयार करना।
- ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी ग्राम सभा के सदस्यों को बैठक की सूचना देने हेतु चर्चा। (मुनादी कराना, डुग्गी पिटवाना, पत्र भेजना, व्यक्तिगत सूचना देना आदि)।
- ग्राम पंचायत में प्रचार–प्रसार हेतु गतिविधियों पर चर्चा। (बैठक, प्रभात फेरी, रैली, दीवार लेखन, पत्राचार आदि)।
- ग्रामसभा में सभी वर्ग, समुदाय कर प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति पर चर्चा।
- ग्राम पंचायत में मौजूद ऐसे लोग जो भविष्य में योजना निर्माण की प्रक्रिया में मदद करेंगे उन व्यक्तियों को चिन्हित करना।

किया जायेगा। यह सचिव का दायित्व है।

- योजना के अवलोकन में पंचायत की स्थायी समितियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित कार्य के अनुसार जो भी संबंधित समिति जिम्मेदार है, वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन करे और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद के लिए एक अनुश्रवण समिति गठित कर लें। इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का बोध भी आएगा।
- योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय 14वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे।
- एक्शन सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. जनरेट की जाएगी एवं कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी।
- प्रिया सॉफ्टवेयर (www.accountingonline.govv.in) पर कार्यों के आई.डी. (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष खर्च का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- योजना बनाने की प्रक्रिया का शत–प्रतिशत निरीक्षण विकास अधिकारी (पंचायत) ADO पंचायत द्वारा 03 माह में किया जाएगा।
- जिला पंचायत अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाएगा।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाएगा।
- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जाएगा।

प्रदेश में मियावाकी तकनीक से डेंस फॉरेस्ट तैयार करेगा वाल्मी

प्रदेश के विभिन्न खाली पड़ी जमीनों में डेंस फॉरेस्ट डेवलप करने के उद्देश्य से जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) की ओर से विशेष पद्धति से पौधरोपण की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसकी शुरूआत वाल्मी ने अपने ही परिसर में 800 स्क्वायर मीटर का डेंस फॉरेस्ट डेवलपमेंट के साथ की है। वाल्मी ने यह पौधरोपण जापान की मियावाकी तकनीक से किया है। अपने परिसर में मिली सफलता के बाद अब वाल्मी प्रबंधन द्वारा इस पद्धति को न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक के बाद एक पौधरोपण किया जा रहा है।

क्या है मियावाकी

वाल्मी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मियावाकी पद्धति जापान के डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा तैयार की गई है। मियावाकी पद्धति के अंतर्गत चार लेयर में पौधरोपण किया जाता है। इनमें बड़े, उससे छोटे, थर्ड लेवल और फिर ग्राउंड लेवल के पौधे लगाए जाते हैं। इनमें नीम, पीपल, शीशम आदि के पौधे होते हैं। इन्हें कुछ इस तरह से विकसित किया जाता है कि पौधे एक-दूसरे के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कुछ समय बाद मियावाकी पद्धति से लगे पौधे अपने दम पर पनपने लगते हैं। यह क्षेत्र ऑक्सीजन जोन बन जाता है। यह घना जंगल विकसित करने की जापानी तकनीक है। इस तकनीक से लगाए गए पौधे सामान्य पौधों के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। हर साल 1 मीटर और 30 गुना घने होते हैं। पौधरोपण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है। 2 साल में पौधे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं।

ऐसे तैयार होगा जंगल

विशेषज्ञों के अनुसार इसमें अलग-अलग ऊंचाई के विकसित होने वाले पौधों को आसपास लगाते हैं। जैसे 30 फीट तक विकसित होने वाले पौधे के बाजू से 20 फीट तक विकसित होने वाला पौधा लगाते हैं। इस तकनीक से पौधे उगाने के लिए पहले मिट्टी का सर्वे और क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। इसके बाद जरूरत के अनुसार अलग-अलग खाद तैयार की जाती है। इसमें पौधे हर साल कम से कम 1 मीटर तक बढ़ते हैं। इसके अलावा तीन साल बाद इस तरह से तैयार जंगल का मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ता है।

इस तकनीक से बनाएं बगीचा

इस तकनीक से जंगल के साथ-साथ बगीचा भी तैयार किया जा सकता है। कम

वाल्मी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मियावाकी पद्धति जापान के डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा तैयार की गई है। मियावाकी पद्धति के अंतर्गत चार लेयर में पौधरोपण किया जाता है। इनमें बड़े, उससे छोटे, थर्ड लेवल और फिर ग्राउंड लेवल के पौधे लगाए जाते हैं। इनमें नीम, पीपल, शीशम आदि के पौधे होते हैं। इन्हें कुछ इस तरह से विकसित किया जाता है कि पौधे एक-दूसरे के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कुछ समय बाद मियावाकी पद्धति से लगे पौधे अपने दम पर पनपने लगते हैं। यह क्षेत्र ऑक्सीजन जोन बन जाता है। यह घना जंगल विकसित करने की जापानी तकनीक है। इस तकनीक से लगाए गए पौधे सामान्य पौधों के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। हर साल 1 मीटर और 30 गुना घने होते हैं। पौधरोपण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है। 2 साल में पौधे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं।

से कम एक हजार वर्ग फीट जगह में 50 प्रजाति के पौधे एक साथ रोपे जा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस तरह से तैयार बगीचे या जंगल 30 प्रतिशत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं।

इन स्थानों पर हो रहा प्लांटेशन

भोपाल स्मार्ट सिटी की ओर से टीटी नगर स्थित एबीडी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) एरिया में लगभग 10 एकड़ में मियावाकी तकनीक से घना जंगल विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 1.20 लाख पौधे रोपे जाएंगे।

पौधे हर साल 1 मीटर बढ़ेंगे और 2 साल में इलाका जंगल का रूप ले लेगा। यह 30 गुना अधिक कार्बन डाईऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी ने वाल्मी की मदद ली है। विशेषज्ञों की टीम चिन्हित जगह का निरीक्षण भी कर चुकी है। पौधरोपण के लिए मिट्टी के परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

एसवी पॉलिटेक्निक और खजूरी में प्लांटेशन

शहर के सबसे पुराने टेक्निकल कॉलेज एसवी पॉलिटेक्निक में 250 स्क्वायर मीटर पर वाल्मी के सहयोग से प्लांटेशन किया गया है। इसमें नीम सहित विभिन्न औषधीय पौधो का रोपण किया गया है। वहीं, लगभग 150 स्क्वायर मीटर प्लांटेशन खजूरी स्थित जिला पंचायत सीईओ की मदद से किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी प्लांटेशन की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

● **प्रवीण पाण्डेय**

सफलता की कहानी

आदिवासी समुदाय के लिये सोलर लाइट है, सूरज की लाइट

श्योपुर जिले में कराहल विकासखंड में सुदूर वनांचल के आदिवासी ग्राम पनार, चन्द्रपुरा, सिरोंनी और बागचा के सहरानो और सहरिया परिवारों के घर रोज शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक सोलर सिस्टम से बिजली की रोशनी से जगमगाते हैं।

इन परिवारों के घर पर सोलर बैट्री को रिचार्ज करने के लिये सोलर प्लेट लगाई हैं, जो सूर्य की किरणों से बैट्री को चार्ज करती है।

इस कारण आदिवासी समुदाय सोलर लाइट को सूरज की लाइट कहते हैं।

सुदूर वन क्षेत्र के इन गांव के सहरिया और सहरानों परिवारों के घरों पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से सोलर होम लाइट सिस्टम लगाया गया है। इस व्यवस्था में एपीएल परिवारों से मात्र 200 और बीपीएल परिवारों से मात्र 100 रुपये अंशदान जमा कराया गया है।

अब इन गाँव के बच्चे रात में पढ़ने लगे हैं। आसपास के ग्रामवासी भी अपने घरों में सोलर होम लाइट सिस्टम लगाने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

नल–जल योजनाओं के लिये
ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट क्यों है जरूरी

किसी भी लोकतंत्र में स्थानीय निकाय या सबसे छोटी व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत व्यवस्था का अहम स्थान होता है। लोकतंत्र की एक खासियत यह भी है कि इसमें सभी की सहमति और समझ होती है।

इन्हीं खूबियों और सिद्धांत को अपने में समाहित किये हुए है सोशल ऑडिट की प्रक्रिया। पंचायती राज कानून में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की भी ताकत दी गई है।

ग्राम पंचायत, ग्रामसभा और जिला पंचायत के सदस्य अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते हैं और इस संदर्भ में कैफियत तलब कर सकते हैं। साल 1993 के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है।

इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम–समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजनिक मंच पर लोगों से साझा करती हैं।

इससे जनता को न सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। ग्रामसभा के विधिवत संचालन से पारदर्शिता, जबावदेही और लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राज प्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के

कामकाज की निगरानी करें।

नल–जल योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) के उद्देश्य

समुदाय और समुदाय आधारित संगठन (तथा/उपयोगकर्ता समूह) को मांग, जरूरत और कवरेज (आवृत्त क्षेत्र) की निगरानी करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीएचईडी, संबंधित विभाग और पीआरआई द्वारा किए गए कार्य निदशों के अनुसार किए गए हैं तथा कार्यों में जो खर्च किया गया है वह कार्यानुसार है या नहीं।

पेयजल सेवाओं के मूल्यांकन के लिए तय पैरामीटर

- जल की पहुंच और उसका उपयोग
- गुणवत्ता, मात्रा और विश्वसनीयता
- सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही
- उपयोगकर्ता की संतुष्टि

सोशल ऑडिट से ग्रामीण समुदाय को निम्न मदद मिलेगी

- प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना के लिए उपलब्ध आवश्यकताओं और संसाधनों के बीच भौतिक और वित्तीय अंतर का आकलन करने में।
- जल आपूर्ति योजना के निर्माण, ऑपरेशन और मैनेजमेंट (OM²) से संबंधित सेवाओं के लाभार्थियों और प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने में।
- जल सेवा वितरण की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने में।
- हितधारकों और प्राथमिकता के अनुसार विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न निर्णयों की जांच करने में।

सोशल ऑडिट की सुविधा कैसे प्रदान करें?

सामाजिक अंकेक्षण के लिए सबसे उपयुक्त संस्थागत स्तर ग्रामसभा है, क्योंकि ग्रामसभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। ग्रामसभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गाँव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर तैयार की जाती है। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज कानून के तहत ही

ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की ताकत दी गई है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि वार्ड सभा अपने कामों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करके पेश करेगी और इलाके में हुए विकास कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए जवाबदेह होगी।

पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज की निगरानी करने के लिए शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्टों के वार्षिक विवरण की जांच करने करने की शक्तियां भी दी गईं हैं। इसमें दी गई शक्तियों से ग्राम पंचायत सशक्त बनती हैं।

सामाजिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के हितधारकों के बीच से भी चुना जा सकता है। इसमें समुदाय के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर खड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए। योजना के दायरे में आने वाली सभी बस्तियों के प्रतिनिधि भी समिति में होने चाहिए। समिति के सदस्यों का चयन ग्राम सभा करती है।

कायदे से समिति के सदस्यों का चयन ग्रामसभा द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन समय के लाभ के लिए, ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित जल उपयोगकर्ता समिति इस प्रक्रिया को पूरा कर सकती है।

सोशल ऑडिट के
प्रमुख चरण निम्न हैं

- **भूमिका तय करना :** सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण में भूमिका तय की जाती है, जिसमें अलग-अलग पैरामीटर और उनके प्रदर्शन को मापने के लिये प्रमुख संकेतक (इंडीकेटर्स) होते हैं।
- **इससे संबंधित सभी हितधारकों को सूचित किया जाना चाहिये :** सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट समिति को सभी हितधारक, ग्राम पंचायत (जीपी), पीएचईडी या किसी अन्य संबंधित विभाग के सभी वर्गों को सूचित करना चाहिए।
- **सभी दस्तावेजों और अभिलेखों का संकलन :** इस चरण में सामाजिक अंकेक्षण के लिए योजना से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह करके रखना चाहिये जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण, योजना डिजाइन, लागत अनुमान, विनिर्देश, समझौतों की प्रतियां, स्टॉक रजिस्टर, रिपोर्ट, ग्राम पंचायत और ग्रामसभा संकल्प आदि शामिल हैं।
- **प्रश्नों का चयन और उन पर निर्णय :** इसमें सबसे पहले अलग-अलग घटकों या अवयवों से जुड़े प्रश्न तैयार करने होते हैं और संबंधित लोगों या संस्था से उनके जवाब लेने होते हैं। तैयार सवालों को पाइप लाइन जलापूर्ति योजना के विभिन्न घटक और दस्तावेज के सत्यापन के लिए शामिल प्रक्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- **सत्यापन :** इस चरण में सत्यापन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को सवाल पूछकर, दस्तावेजों की जांचकर, डेटा का विश्लेषण कर और अवलोकन कर पूरा किया जाता है।
- ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना : इसमें तय प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती है। जिसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि किन-किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, किन मुद्दों की पहचान की गई और उनका क्या समाधान किया गया।
- **ग्रामसभा का आयोजन :** सामाजिक अंकेक्षण समिति अपनी रिपोर्ट ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी और पीडब्ल्यूएसएस के प्रदर्शन में सुधार के लिए अंतिम संकल्प लेगी।
- **निगरानी :** इस प्रक्रिया का अंतिम चरण निगरानी है जिसमें ग्राम सभा में लिए गए संकल्प के अनुसार कार्य की प्रगति की निगरानी, ऑपरेशन और मैनेजमेंट बजट और टैरिफ सेटिंग की निगरानी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है और डिजाइन के अनुसार सेवा वितरण की निगरानी की जाती है।

● रश्मि रंजन

2020 ईस्वी सन्
शक संवत् 1941-42

पंचा

जनवरी — पौष-माघ 1941 — 2020

वार					
रविवार		5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (6)
सोमवार		6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (7)
मंगलवार		7 (17)	14 (24)	21 (1)	28 (8)
बुधवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (2)	29 (9)
गुरुवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (3)	30 (10)
शुक्रवार	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (4)	31 (11)
शनिवार	4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (5)	

फरवरी — माघ -फाल्गुन 1941 — 2020

वार					
रविवार		2 (13)	9 (20)	16 (27)	23 (4)
सोमवार		3 (14)	10 (21)	17 (28)	24 (5)
मंगलवार		4 (15)	11 (22)	18 (29)	25 (6)
बुधवार		5 (16)	12 (23)	19 (30)	26 (7)
गुरुवार		6 (17)	13 (24)	20 (1)	27 (8)
शुक्रवार		7 (18)	14 (25)	21 (2)	28 (9)
शनिवार	1 (12)	8 (19)	15 (26)	22 (3)	29 (10)

मार्च — फाल्गुन-चैत्र 1941-42 — 2020

वार					
रविवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (2)	29 (9)
सोमवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (3)	30 (10)
मंगलवार	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (4)	31 (11)
बुधवार	4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (5)	
गुरुवार	5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (6)	
शुक्रवार	6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (7)	
शनिवार	7 (17)	14 (24)	21 (1)	28 (8)	

अप्रैल — चैत्र-वैशाख 1942 — 2020

वार					
रविवार		5 (16)	12 (23)	19 (30)	26 (6)
सोमवार		6 (17)	13 (24)	20 (31)	27 (7)
मंगलवार		7 (18)	14 (25)	21 (1)	28 (8)
बुधवार	1 (12)	8 (19)	15 (26)	22 (2)	29 (9)
गुरुवार	2 (13)	9 (20)	16 (27)	23 (3)	30 (10)
शुक्रवार	3 (14)	10 (21)	17 (28)	24 (4)	
शनिवार	4 (15)	11 (22)	18 (29)	25 (5)	

मई — वैशाख-ज्येष्ठ 1942 — 2020

वार					
रविवार	31 (10)	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (3)
सोमवार		4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (4)
मंगलवार		5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (5)
बुधवार		6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (6)
गुरुवार		7 (17)	14 (24)	21 (31)	28 (7)
शुक्रवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (1)	29 (8)
शनिवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (2)	30 (9)

जून — ज्येष्ठ-आषाढ़ 1942 — 2020

वार					
रविवार		7 (17)	14 (24)	21 (31)	28 (7)
सोमवार	1 (11)	8 (18)	15 (25)	22 (1)	29 (8)
मंगलवार	2 (12)	9 (19)	16 (26)	23 (2)	30 (9)
बुधवार	3 (13)	10 (20)	17 (27)	24 (3)	
गुरुवार	4 (14)	11 (21)	18 (28)	25 (4)	
शुक्रवार	5 (15)	12 (22)	19 (29)	26 (5)	
शनिवार	6 (16)	13 (23)	20 (30)	27 (6)	

शासकीय

समस्त

26	जनवरी	गणतंत्र
9	फरवरी	संत रि
21	फरवरी	महाशि
10	मार्च	होली
25	मार्च	* गुड़ी प
1	अप्रैल	† बैंकों व
2	अप्रैल	रामनव
6	अप्रैल	महावी
10	अप्रैल	पुण्य श
14	अप्रैल	* डॉ. अ
26	अप्रैल	परशुरा
7	मई	बुद्ध पू
25	मई	ईद-उ
1	अगस्त	ईदुज्जु
3	अगस्त	* रक्षाबंध
9	अगस्त	आदिव
12	अगस्त	जन्माष
15	अगस्त	स्वतंत्र
30	अगस्त	मोहर्रम
2	अक्टूबर	गांधी ज
25	अक्टूबर	दशहर
30	अक्टूबर	मिलाद
31	अक्टूबर	* महर्षि
14	नवम्बर	दीपाव
30	नवम्बर	गुरुना
25	दिसम्बर	ख्रिस्त

* कोषागारों एवं उप-कोषागार
† केवल कोषागारों एवं उप-

ऐच्छिक (आप

(1) 1 जनवरी – नववर्ष दिवस, (2) 2 जनवरी – गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस, (3) 6 जनवरी– महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस, (4) 15 जनवरी – म
(9) 8 फरवरी– स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस, (10) 18 फरवरी–महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस, (11) 19 फरवरी – छत्रपति शिवाजी जयन्ती, (12
भाईदूज, (17) 20 मार्च – वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस/भक्त माता कर्मा जयन्ती, (18) 7 अप्रैल – हाटकेश्वर जयन्ती, (19) 11 अप्रैल – महात्मा ज्योतिबा फुले
उल-विदा, (25) 23 मई – ईद-उल-फित्र (के ठीक पूर्व का दिवस), (26) 25 मई – छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती, (27) 3 जून – बड़ा महादेव पूजन, (28
नागपंचमी, (33) 27 जुलाई– गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, (34) 30 जुलाई – ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस), (35) 7 अगस्त – गदीर-ए-खुम, (36)
(41) 31 अगस्त– ओणम, (42) 1 सितम्बर – अनंत चतुर्दशी, (43) 16 सितम्बर – प्राणनाथ जयन्ती, (44) 17 सितम्बर – विश्वकर्मा जयन्ती/सर्वपितृ मोक्ष अमावस्य
(महानवमी), (48) 31अक्टूबर – महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव, (49) 4 नवम्बर – करवा चौथ पर्व, (50) 13 नवम्बर – दीपावली (द
दिवस, (55) 25 नवम्बर – नामदेव जयन्ती, (56) 3 दिसम्बर – विश्व विकलांग दिवस, (57) 5 दिसम्बर – डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस, (58) 18 दिसम्बर – गुरु घास

टीप – प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 61 ऐच्

मध्यप्रदेश
...यिका
पंचायतों की मासिक पत्रिका

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

2020
विक्रम संवत् 2076-77

...अवकाश

...रविवार
...दिवस
...विदास जयन्ती
...वरात्रि

...ड़वा/चैती चांद
...की वार्षिक लेखाबंदी
...मी
...र जयन्ती
...ुक्रवार (गुड फ्रायडे)
...म्बेडकर जयन्ती/वैशाखी
...म जयन्ती
...र्णिमा
...ल-फित्र
...ुहा
...धन
...ासी दिवस
...ष्टमी
...ता दिवस
...ा
...जयन्ती
...ा (विजयादशमी)
...द-उन-नबी
...वाल्मीकी जयन्ती
...ली
...नक जयन्ती
... जयन्ती (क्रिसमस)

...रों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं।
...कोषागारों के लिये यह छुट्टी है।

जुलाई — आषाढ़-श्रावण 1942 — 2020

रविवार		5 14	12 21	19 28	26 4
सोमवार		6 15	13 22	20 29	27 5
मंगलवार		7 16	14 23	21 30	28 6
बुधवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
गुरुवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8
शुक्रवार	3 12	10 19	17 26	24 2	31 9
शनिवार	4 13	11 20	18 27	25 3	

अगस्त — श्रावण-भाद्र 1942 — 2020

रविवार	30 8	2 11	9 18	16 25	23 1
सोमवार	31 9	3 12	10 19	17 26	24 2
मंगलवार		4 13	11 20	18 27	25 3
बुधवार		5 14	12 21	19 28	26 4
गुरुवार		6 15	13 22	20 29	27 5
शुक्रवार		7 16	14 23	21 30	28 6
शनिवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7

सितम्बर — भाद्र-आश्विन 1942 — 2020

रविवार		6 15	13 22	20 29	27 5
सोमवार		7 16	14 23	21 30	28 6
मंगलवार	1 10	8 17	15 24	22 31	29 7
बुधवार	2 11	9 18	16 25	23 1	30 8
गुरुवार	3 12	10 19	17 26	24 2	
शुक्रवार	4 13	11 20	18 27	25 3	
शनिवार	5 14	12 21	19 28	26 4	

अक्टूबर — आश्विन-कार्तिक 1942 — 2020

रविवार		4 12	11 19	18 26	25 3
सोमवार		5 13	12 20	19 27	26 4
मंगलवार		6 14	13 21	20 28	27 5
बुधवार		7 15	14 22	21 29	28 6
गुरुवार	1 9	8 16	15 23	22 30	29 7
शुक्रवार	2 10	9 17	16 24	23 1	30 8
शनिवार	3 11	10 18	17 25	24 2	31 9

नवम्बर — कार्तिक-अग्रहायण 1942 — 2020

रविवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29 8
सोमवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9
मंगलवार	3 12	10 19	17 26	24 3	
बुधवार	4 13	11 20	18 27	25 4	
गुरुवार	5 14	12 21	19 28	26 5	
शुक्रवार	6 15	13 22	20 29	27 6	
शनिवार	7 16	14 23	21 30	28 7	

दिसम्बर — अग्रहायण-पौष 1942 — 2020

रविवार		6 15	13 22	20 29	27 6
सोमवार		7 16	14 23	21 30	28 7
मंगलवार	1 10	8 17	15 24	22 1	29 8
बुधवार	2 11	9 18	16 25	23 2	30 9
गुरुवार	3 12	10 19	17 26	24 3	31 10
शुक्रवार	4 13	11 20	18 27	25 4	
शनिवार	5 14	12 21	19 28	26 5	

...शनल) छुट्टियाँ

...कर संक्रांति/पोंगल, (5) 21 जनवरी – हेमू कालाणी का शहीदी दिवस, (6) 30 जनवरी– बसंत पंचमी, (7) 31 जनवरी– देव नारायण जयन्ती, (8) 1 फरवरी– नर्मदा जयन्ती,
...) 21 फरवरी– एकलव्य जयन्ती, (13) 24 फरवरी– शबरी जयन्ती, (14) 7 मार्च – हजरत अली का जन्म दिवस, (15) 9 मार्च – होली (होलिका दहन), (16) 11 मार्च –
...जयन्ती, (20) 13 अप्रैल – विशु, (21) 18 अप्रैल – वल्लभाचार्य जयन्ती, (22) 28 अप्रैल – शंकराचार्य जयन्ती, (23) 15 मई– केवट जयन्ती, (24) 22 मई – जमात–
...) 5 जून – कबीर जयन्ती, (29) 9 जून – बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस, (30) 23 जून – रथयात्रा, (31) 24 जून – वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस, (32) 25 जुलाई –
... 13 अगस्त – दुर्गादास राठौर जयन्ती, (37) 22 अगस्त – गणेश चतुर्थी, (38) 25 अगस्त – नवाखाई, (39) 28 अगस्त – योम–ए–अशुरा, (40) 29 अगस्त – डोलग्यारस,
...ा, (45) 18 सितम्बर – राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, (46) 17 अक्टूबर – अग्रसेन जयन्ती, (47) 24 अक्टूबर – दशहरा (महाअष्टमी)/दशहरा
...क्षिण भारतीय), (51) 16 नवम्बर – भाईदूज, (52) 20 नवम्बर– छठ पूजा पर्व, (53) 21 नवम्बर– भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती, (54) 24 नवम्बर – गुरु तेगबहादुर का शहीदी
...तीदास जयन्ती, (59) 21 दिसम्बर – संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती, (60) 29 दिसम्बर – दत्तात्रय जयन्ती, (61) 31 दिसम्बर – बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती.

...च्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियां दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

मध्यप्रदेश में लोक चित्रों से स्वच्छता संवाद

मध्यप्रदेश में स्वच्छता के प्रति जागरुकता के लिए अपनी तरह का अनूठा अभियान चलाया गया। देश दुनिया में पहली बार इस तरह का नवाचार किया गया है। इस जन जागरुकता अभियान के तहत प्रदेश भर में लोक चित्रों के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता की निरन्तरता का संदेश दिया गया। इनमें सब करें शौचालय का उपयोग, शौचालय उपयोग से स्वस्थ जीवन, सही समय पर हाथ धुलाई, कूड़े कचरे का सही निपटान पर केन्द्रित लोकचित्र बनाये गये।

प्रदेश की 11 हजार 207 ग्रामीण महिलाओं द्वारा लगभग 83 हजार एक सौ 49 वॉल पेंटिंग तैयार की गईं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आजीविका मिशन में शामिल स्व-सहायता समूह में पेंटिंग में रुचि रखने वाली महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा गया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन द्वारा अगस्त 2019 से चलाए जा रहे इस अभियान को चरणबद्ध स्वरूप में आकार दिया गया। प्रथम स्तर पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से 204 मास्टर ट्रेनर तैयार किये गये। द्वितीय स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर पेंटर्स ने जिला स्तर पर 779 मास्टर ट्रेनर तैयार करवाये। इन मास्टर ट्रेनर ने आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूह की चिन्हित 11 हजार 207 महिला पेंटर को प्रशिक्षण देकर लोक चित्रकला द्वारा स्वच्छता अभियान को प्रदेश के गांवों तक पहुंचाया।

लोकचित्र बनाने के बाद इस लोकचित्र का गांवों में स्वच्छताग्राही द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। जिसमें ग्रामीणों को पेंटिंग से स्वच्छता के लिए दिये जाने वाले संदेश की व्याख्या की गई। लोक चित्र बनाने और इसके प्रदर्शन के प्रदेश भर में लगभग 50 हजार गांवों में कार्यक्रम किये गये, जिसमें एक करोड़ से अधिक ग्रामीण लोगों के साथ स्वच्छता संवाद किया गया।

पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के मुख्य गांव में पेंटिंग तथा उस पंचायत से संबंधित गांव में दो पेंटिंग महिलाओं द्वारा बनवाई गईं। प्रत्येक महिला को दो ग्राम पंचायत आवंटित की गयीं। सभी महिलाओं ने लगभग 83 हजार 149 वॉल पेंटिंग बनाईं। महिलाओं ने अपनी बनाई गयी पेंटिंग को स्वयं मोबाइल

पुरस्कार एवं सम्मान

पुरस्कारों की संख्या, राशि तथा स्तर का विवरण निम्नानुसार किया जाना है:

प्रतिस्पर्धी	राज्य स्तर	जिला स्तर	जनपद स्तर
महिला चित्रकार	प्रथम रु. 30,000	प्रथम रु. 7,000	प्रथम रु. 3,000
	द्वितीय रु. 20,000	द्वितीय रु. 5,000	द्वितीय रु. 2,000
	तृतीय रु. 10,000	तृतीय रु. 3,000	तृतीय रु. 2,000

नोट : सर्वोत्कृष्ट 3 पेंटिंग्स के लिए पुरस्कार राशि रु. 5,000/- प्रशिक्षक चित्रकार को भी दिए जाएंगे।

लोक चित्र से स्वच्छता–संवाद

''लोक चित्र से स्वच्छता–संवाद अभियान'' माह अगस्त–2019 से प्रारंभ किया गया। यह अभियान जिला कलेक्टर के नेतृत्व एवं सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस अभियान को आजीविका मिशन की स्व–सहायता समूह की वह महिलाएं जो चित्रकला में रुचि रखती हैं उनका चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण क्रम

प्रथम स्तर पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण द्वारा 204 मास्टर ट्रेनर तैयार किये गये। द्वितीय स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर पेंटर्स ने जिला स्तर पर कुल 779 मास्टर ट्रेनर को तैयार किया। जिन्होंने आजीविका मिशन की चिन्हित 11207 महिला पेंटर को जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण देकर लोक चित्रकला से स्वच्छता संवाद अभियान को ग्रामों में क्रियान्वित किया।

प्रशिक्षित महिला पेंटर द्वारा लोक चित्रकला से स्वच्छता संवाद का क्रियान्वयन

सभी ग्राम पंचायतों के मुख्य गांव में 04 पेंटिंग एवं उसके संबंधित गांव में 02 पेंटिंग महिलाओं द्वारा 6 x 4 फिट के आकार में बनाई गईं जो कि निम्न 04 विषयों पर आधारित हैं –

- सब करें शौचालय का उपयोग।
- शौचालय उपयोग से स्वस्थ जीवन।
- सही समय पर हाथ धुलाई।
- कूड़े–कचरे का सही निपटान।
- महिलाओं द्वारा तैयार की गई सभी वॉल पेंटिंग जिले की स्थानीय भाषा अनुसार तैयार कर जिला मुख्यालय द्वारा सभी 11,207 महिलाओं से साझा किया गया।
- क्रियान्वयन रणनीति अनुसार प्रत्येक महिला को 02 ग्राम पंचायत आवंटित की गईं। जिसके अनुसार सभी महिलाओं ने लगभग 83,149 वॉल पेंटिंग तैयार कीं।
- इन वॉल पेंटिंग्स को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जीओ टैग भी किया गया।

''लोक चित्र से स्वच्छता–संवाद''

- लोक चित्रकला से स्वच्छता संवाद अंतर्गत तैयार की गई सभी पेंटिंग के पूर्ण होने पर ग्रामों में पेंटिंग के समक्ष लोगों को बुलाकर उनके साथ बनाई गई वॉल पेंटिंग पर स्वच्छाग्राही द्वारा संवाद किया गया एवं लोगों को पेंटिंग के विषय वस्तु पर जानकारी भी प्रदान की गई।
- लोक चित्रकला से स्वच्छता संवाद अंतर्गत प्रत्येक वॉल पेंटिंग के आधार पर संवाद करने के लिये बच्चों, महिलाओं एवं समुदाय के साथ अलग–अलग समूह में बुलाकर स्थल चर्चा की गई।
- बनाई गई वॉल पेंटिंग को स्थानीय भाषा और स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाया गया था। जिसके कारण समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने का एक अनुकूल वातावरण भी निर्मित हुआ। परिणामस्वरूप सफलतापूर्वक लोगों तक स्वच्छता संदेशों को पहुंचाया जा सका।

एप्लीकेशन के माध्यम से जीओ टैग भी किया। प्रदेश में जिला कलेक्टर के नेतृत्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में चलाये गये इस अभियान से जहाँ महिलाओं का हुनर सामने आया, वहीं ग्रामीणों को स्वच्छता को निज भाव से समझने का अवसर उपलब्ध हुआ। इसमें महिलाओं का अपनी कला के प्रदर्शन से आत्मविश्वास जागा, उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ और वे स्वावलम्बन की दिशा में आगे आईं। इस सम्पूर्ण अभियान ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नवीन आयाम विकसित किया है। लोक कला को समाज विकास और समाज निर्माण के साथ समाहित करने का यह अभियान देश ही नहीं दुनिया में भी पहली बार आयोजित किया गया है। इससे महिलाओं का आत्मबल इतना बढ़ गया है कि 26 जनवरी को उत्कृष्ट पेंटिंग के लिये योजना में शामिल पुरस्कार की जानकारी देने पर उन्होंने कहा कि हमारे पेंटिंग बनाने से हमारा गांव स्वच्छ हो गया, यही हमारे लिए पुरस्कार है। पेंटिंग से समाज परिवर्तन के यह परिणाम भारतीय लोक कला और संस्कृति का अनूठे और अद्भुत नवाचार की सफल गाथा व्यक्त कर रहे हैं। लोक चित्र निर्माण के लिए राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर वरिष्ठ कलाकार श्री भेरूलाल पाटीदार ने बताया कि कला, संस्कृति, परम्परा को बनाये रखने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूह की महिलाओं को शामिल कर लोकचित्र कला के माध्यम से स्वच्छता को लेकर जो विचार बना और उसे आकार दिया गया। यह एक नया सृजन कार्यक्रम है। इससे पहले यह प्रयोग नहीं किया गया। हमने पहले 200 से अधिक कलाकारों को प्रशिक्षित किया, फिर इन प्रशिक्षित कलाकारों ने जिले में आगे प्रशिक्षण दिया और फिर उनके साथ मिलकर पूरे प्रदेश में लोक चित्र कला से स्वच्छता संवाद किया गया। इससे महिलाओं को सृजन करने का अवसर मिला और लाखों लोग इस अभियान से जुड़े, यह व्यापक परिणाम है।

मध्यप्रदेश में जैण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण प्रयास और प्रभाव

मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे जैण्डर संवेदी प्रयासों के अनुभव साझा करने के लिए दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 16 तथा 17 जनवरी को भोपाल के होटल कोर्टयार्ड मेरियट में आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों और नवाचारों को आमंत्रित पंच सरपंचों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मध्यप्रदेश के संबद्ध विभागों यू.एन. संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, एस.आई. आर.डी.पी.आर., एम.पी. तथा चयनित पंचायतों द्वारा किये जा रहे महिला सशक्तिकरण संबंधी अच्छे प्रयासों एवं जैण्डर संवेदी पहल के अनुभवों को आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज संचालनालय मध्यप्रदेश, यूनीसेफ तथा वाल्मी संस्था के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ तत्कालीन आयुक्त पंचायत राज श्री संदीप यादव द्वारा किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में जैण्डर संवेदी राज्य नीतियों, योजनाओं तथा विशेष प्रयासों का संकलन और विश्लेषण करना है ताकि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जैण्डर संवेदी, समावेशी विकास तथा स्थानीय शासन को बढ़ावा मिले।

मध्यप्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित जैण्डर समानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा योजनाओं का एनालिसिस जिसमें शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों तथा चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है।

इसके माध्यम से मध्यप्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिये किये गये प्रयासों का आकलन किया जायेगा।

कार्यशाला में विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रस्तुतियां दी गईं। इसमें डॉ. अनिता, प्रोफेसर एवं प्रमुख शोधकर्ता, एसआईआरडी राजस्थान ने पृष्ठभूमि प्रस्तुत दी।

कार्यशाला में संभाग से आये प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा संचालित प्रमुख जैण्डर-संवेदी महिला सशक्तिकरण प्रयासों की मध्यप्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत की।

उद्घाटन सत्र के बाद साझा विचार मंथन सत्र में मध्यप्रदेश राज्य में जैण्डर-संवेदी प्रयास : महिला सशक्तिकरण हेतु शक्तियाँ, कमजोरियां, अवसर और चुनौतियों पर साझा विचार मंथन किया गया। इसमें विचार मंथन सहजकर्ता रहीं डॉ. अनिता प्रोफेसर, सहयोगी डॉ. रुचि चतुर्वेदी, वरिष्ठ परामर्शक, राज्य पंचायत संदर्भ केन्द्र (एसपीआरसी)।

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा क्रियान्वित महिला सशक्तिकरण एवं जैण्डर–संवेदी प्रयास विषय पर महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के बाद खुली चर्चा की गई।

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा बालिका शिक्षा केन्द्रित एवं जैण्डर समानता को बढ़ावा देने के प्रयास पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा महिला एवं किशोर बालिका स्वास्थ्य केन्द्रित जैण्डर संवेदी प्रयास पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि ने प्रस्तुतिकरण किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित जैण्डर संवेदी योजनाएं महिला एवं बालिका सशक्तिकरण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया।

कार्यशाला के दूसरे दिन 17 जनवरी को प्रथम सत्र में ग्रामीण विकास विभाग एवं एसआरएलएम, मध्यप्रदेश द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के जरिये जैण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण के प्रयास पर प्रस्तुतिकरण दिया गया और खुली चर्चा हुई।

कृषि विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित जैण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण के प्रयास पर प्रस्तुति दी गयी और खुली चर्चा हुई।

कार्यशाला के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में पंचायती राज प्रशिक्षणों में जैण्डर मुद्दों एवं महिला सशक्तिकरण प्रयासों की प्रस्तुति वरिष्ठ प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा दी गई। यू.एन. संस्थाओं द्वारा समर्थित जैण्डर संवेदी महिला सशक्तिकरण प्रयासों की प्रस्तुति वरिष्ठ प्रतिनिधि अधिकारी ने दी।

महिला सशक्तिकरण संबंधी जैण्डर संवेदी प्रयासों पर प्रस्तुति वरिष्ठ प्रतिनिधि अधिकारी राज्य महिला आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा दी गयी। इसी दिन जैण्डर संवेदी म हिला व बालिका सशक्तिकरण कार्यशाला में आमंत्रित सरपंचों (ग्राम पंचायत अध्यक्षों) द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। जिसमें आमंत्रित सरपंच तथा पंचायत अध्यक्षों द्वारा जैण्डर संवेदी सफल प्रयासों की प्रस्तुतियां हुईं।

कार्यशाला में आमंत्रित स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा मध्यप्रदेश के स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधियों की पंचायती राज क्षमता विकास में जैण्डर संवेदनशीलता एवं महिला तथा बालिका सशक्तिकरण संबंधी अनुभवों की प्रस्तुति दी गई। कार्यशाला का समापन आयुक्त पंचायती राज, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अनिता, प्रोफेसर, एसआईआरडीपीआर, राजस्थान तथा श्री प्रफुल्ल जोशी, ओआईसी (आरजीएसए), मध्यप्रदेश ने दिया।

मोना कोरव, सरपंच

ग्राम – सडूमार, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

कार्यशाला में सरपंच मोना कोरव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी 50 प्रतिशत आबादी की सोच बदलना भी जरूरी है। घर से बाहर निकलकर जब महिलाएं समाज के बीच कार्य करती हैं, तो उन्हें ज्यादातर नकारात्मक माहौल ही मिलता है। ऐसे माहौल में भी वह निगेटिव एनर्जी को पॉजीटिव एनर्जी में बदलकर कार्य करती हैं और ऐसा इसलिए ही हो पाता है कि वह शिक्षित होती हैं। शिक्षा से ही हम समाज के बीच पूरी ताकत से खड़े होकर कार्य कर सकते हैं। सरपंच मोना ने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भूमिका के साथ अपने सरपंच बनने के साथ ही गांव में किये गये कार्यों के दौरान हुए संघर्ष की बात साझा की।

बाल हितैषी ग्राम पंचायत विकास योजना से पूरे हो रहे हैं नौनिहालों के सतरंगी सपने

विगत दिनों भोपाल में बाल हितैषी ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण को लेकर बाल हितैषी कान्क्लेव का आयोजन किया गया। यह आयोजन समर्थन संस्था के तत्वावधान में पंचायत राज संचालनालय के सहयोग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के सूत्रधार थे समर्थन संस्थान से श्री योगेश कुमार। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, यूनीसेफ से राज्य प्रमुख श्री माइकल जूमा और उनकी सहयोगी टीम, आयुक्त पंचायत राज विभिन्न प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, पंचायतों के प्रतिनिधि तथा पंचायत राज संचालनालय के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कान्क्लेव में शामिल बच्चों ने बताया कि पहले हमारे स्कूल में खेल का मैदान नहीं था, पीने के पानी के लिए भी काफी परेशानी होती थी, स्कूल में शौचालय भी चालू नहीं थे, स्कूल में सभी विषयों के टीचरों की भी कमी थी और जो थे वे भी कई बार टाइम से नहीं पहुँचते थे। हमारे सामने इन सारी परेशानियों के बावजूद भी कोई हल नहीं था। हमें बिलकुल भी पता नहीं था कि इन सारी दिक्कतों के लिए हम कहाँ और किसके पास जाएँ। फिर एक दिन हम सब

मध्यप्रदेश की सभी 22814 ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण की प्रक्रिया को बच्चों के नजरिये एवं भागीदारी से प्रभावित किया जा सके, इसके लिये बाल केन्द्रित ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। ताकि योजना निर्माण में बच्चों के विकास से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा सके। यूनिसेफ के सहयोग से समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश के 6 जिलों की 60 ग्राम पंचायतों में बाल केन्द्रित ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु बच्चों, पंचायतों के प्रतिनिधियों सेवा प्रदाताओं और समुदाय को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रेरक कदम से जो प्रश्न उठे, सुझाव आये, परिवर्तन का संवाद हुआ इसे साझा करने के लिए भोपाल में एक दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया।

बच्चों के बीच समर्थन संस्था की ओर से प्रेरक भैया और दीदी लोग आये, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, फिर हमारी एक–एक बात को गौर से सुना और समझा भी। धीरे–धीरे उन्होंने हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित होकर हमने अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर बाल संगठन बनाया और महीने–महीने में बैठकें भी कीं, जिसमें हमने अपना एजेंडा तैयार करके गांव से जुड़े मुद्दों को उठाया, उस पर चर्चा की और उसके हल भी निकाले। यह कहना था प्रदेश की मंडला जिले की बीजाडांडी जनपद पंचायत की विजयपुर ग्राम पंचायत के बच्चों का, जिन्होंने बाल हितैषी जीपीडीपी निर्माण परियोजना के अंतर्गत अपने विकास से जुड़े मुद्दों से लड़ने और अपने हक़–अधिकार पाने के लिये ठाना है।

ये जज़्बा जागा है गांव के उन नौनिहालों का जब वो जुड़े एक अनूठी पहल– बाल हितैषी ग्राम पंचायत विकास परियोजना से। इसमें मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में अपनी–अपनी ग्राम पंचायतों में यूनीसेफ और समर्थन संस्था के संयुक्त प्रयास से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों जैसे डिण्डोरी, मंडला, बड़वानी, धार एवं झाबुआ में इस अवधारणा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया

है। इस परियोजना के माध्यम से गांव–गांव के बच्चे अपने हक़ और अपनी जरूरतों की सामूहिक पहचान करने के साथ–साथ मांग करने की अभिव्यक्ति और महत्वाकांक्षा को एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत सशक्त कर रहे हैं। जैसे स्कूलों में छात्र–छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण व उसे उपयोगी बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, खेल मैदान बनाना, स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन, पंखे और लाइट लगवाना, पहुँच मार्ग बनाना, स्कूल भवन की मरम्मत और रंग–रोगन कार्य करवाना, समय से स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना जैसे बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ अन्य कार्य जैसे स्कूल में प्रयोगशाला, पढ़ने के लिए पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष एवं शिक्षा, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, आंगनवाड़ी में पोषण आहार, टीकाकरण और बच्चों की नियमित देखभाल आदि की भी बच्चों के द्वारा मांग की गयी, जिस पर ग्रामसभा में रखे बच्चों के मुद्दों पर पंचायत के पंच–सरपंच से लेकर पालक–शिक्षक संघ और आंगनवाड़ी और स्वास्थ कार्यकर्ताओं नें मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से कार्यवाही की।

बनाई गई बाल हितैषी कार्ययोजना के प्रगति की निरंतर समीक्षा, निगरानी व मूल्यांकन भी बच्चों के बाल सतर्कता दल के द्वारा समय–समय पर कुशलता से किया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य गांव में ही रह कर प्रेरक, सचेत दीदी तथा भैया ने किया हैं जिससे गांव के इन बच्चों में अब इतनी जागरूकता आ रही है कि वे अब अपने मुद्दों को गांव की सचेत दीदी एवं स्व–सहायता समूह की दीदियों के माध्यम से ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठकों में भी लेकर पहुँच रहे हैं। वे तथ्यों के साथ पूरे दम–खम से अपनी बात पंचायत से मनवा रहे हैं। यही नहीं उसको पूरा कराने का बाकायदा दबाव भी बना रहे हैं। ताकि उनके द्वारा की गई मांग के ठोस परिणाम आए। इसके लिए बच्चों ने प्रेरक, सचेत दीदी या भैया की मदद से नियोजन की प्रक्रियाओं को जाना और समझा जिसमें मौलिक सवाल जैसे संगठन क्यों और कैसे बनाएँ? नेतृत्व क्षमता कैसे बढ़ाएँ? समस्याओं की पहचान कैसे करें।

समस्याओं का प्राथमिकीकरण कैसे करें, प्लान कैसे बनाएँ और कैसे उसका अनुमोदन और स्वीकृत करवाएँ आदि कई महत्वपूर्ण बातों को बच्चों ने काफी गहराई से समझा और उसे अमल में लाया। इसके बाद सबके साथ मिलकर गांव की 'बाल–हितैषी ग्राम पंचायत विकास योजना' तैयार की जो कि विशेष तौर पर बच्चों के ही छोटे–बड़े हित और उनके विकास पर केन्द्रित थी।

यह प्रयास अपने–आप में एक अनोखा नवाचार था जिसमे गांव के अलग–अलग उम्र के बच्चों ने पूरी प्रक्रिया का कुशल नेतृत्व किया और उसके सूत्रधार बने। अमूमन इस तरह के विकास नियोजन या विकास का नियोजन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को समाज में बच्चों की क्षमता से परे समझा जाता है। जिसके चलते इन सब प्रक्रियाओं में शायद ही उनकी कोई भूमिका देखने को मिलती है। इसलिए इस परियोजना में निहित उद्देश्यों को पूरा करने में सबसे पहली चुनौती थी कि समाज द्वारा बच्चों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को अपनाया जाना, उस पर भरोसा करना और फिर उसके ऊपर कोई कार्यवाही करना एक अलग बात थी। लेकिन इस पायलट परियोजना में किए गए प्रयासों और उनसे आए परिणामों से एक बार फिर यह स्पष्टतः साबित हुआ है कि अगर ठान लिया जाए कि ये काम करना है तो उम्र कभी आड़े नहीं आती और जरूर सफलता मिलती है। नन्हें–मुन्ने बच्चों के फुलवारी से बने बाल–संगठन जो अपने सतरंगी सपनों को अपने आँखों में लिए खुले आसमान में उड़ान भरने निकाल पड़े हैं, उनके जोश और तरंग को देख कर तो यही लगता है कि अब इनका इरादा पूरे आसमां को फतेह करना है। उम्मीद है कि जो बीज डाला गया है, इन नौनिहालों ने उसे अपनी नेतृत्व और संगठन क्षमता से अंकुरित कर दिया है और आगे चल कर यह जरूर अपने गांव और समाज के लिए एक परिपक्व व जिम्मेदार नेतृत्व व कर्तव्य रूपी फल प्रदान करेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट से निकली सीख और अवधारणा को यदि पूरे प्रदेश में लागू किया गया तो ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में बच्चों की भी सक्रिय भागीदरी हो सकेगी। इस कान्क्लेव में प्रदेश भर के बाल पंचायत में शामिल बच्चों ने भाग लिया। आयोजन में दूर–दराज के अंचलों से पधारे इन बच्चों का उत्साह और आत्मविश्वास उनके कार्य के प्रति लगाव और समर्पण को स्वतः व्यक्त कर रहा था।

● **संध्या पाण्डेय**

कमजोर वर्ग का व्यवहारिक सशक्तिकरण है

मध्यप्रदेश की पंचायतों में आरक्षण

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम स्वराज कानून के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों के परिसीमन की कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। आरक्षण की अवधारणा पर आधारित, वर्गवार आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी स्पष्ट उपलब्ध है। अब सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया जाना है। समूची त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सभी स्थानों और पदों में कम से कम आधे स्थान यानी पचास प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। इन आरक्षित स्थानों में भी आंतरिक रूप से विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षण है। यह आरक्षित स्थान, चक्रानुक्रम (रोटेशन) से लॉट निकालकर किये जायेंगे। चक्रानुक्रम का मतलब है बारी-बारी से स्थान आरक्षित करना। विभिन्न वर्गों के लिये प्रमुखों के (अध्यक्ष आदि) कम से कम आधे स्थान तीनों स्तरों की पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे। किन्तु जहां तक इसी व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच व जनपद पंचायतों के सदस्य अध्यक्ष एवं जिला पंचायतों के सदस्यों हेतु अजा, अजजा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्रश्न है वह अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये अलग-अलग है।

सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ-साथ समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग यानी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि का भी समुचित प्रतिनिधित्व विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित किया जाना है।

जहां तक पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षण का मुद्दा है। उसके लिये भी एक निश्चित और सटीक फार्मूला बना दिया गया है। जो निर्वाचन क्षेत्र इस वर्ग के लिये पहले से आरक्षित हैं। उनके अलावा क्षेत्रों में नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था है। किसी भी स्थिति में निर्धारित स्थानों की संख्या की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। अब अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण के प्रावधानों पर भी संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए। यद्यपि इस क्षेत्र में तीनों स्तरों की पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में होगा किन्तु अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण कुल संख्या के आधे से कम बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रहे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये कुल आरक्षित स्थान संबंधित पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई से अधिक नहीं होंगे।

अनुसूचित क्षेत्र की ग्रांम पंचायतों के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिये भी आरक्षित होंगे। जनपद अध्यक्ष पद पर भी यही नियम लागू होगा। जनपद और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की कार्यवाही की सूचना विधिवत प्रकाशित की जाएगी। पंचायतों के सरपंच पद और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण की कार्यवाही की सूचना का प्रकाशन लाट निकालने के पांच दिन पूर्व करना होगा। विभिन्न स्तरों के आरक्षण की ये तिथियां 20, 27 और 30 जनवरी, 2020 थीं। कलेक्टर द्वारा जिले का संकलित विवरण आयुक्त, पंचायत राज को ग्राम और जनपद पंचायतों के समेकित प्रतिवेदनों के प्रारूप भी प्रसारित कर दिये गये हैं।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत के वार्ड और जिला तथा जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम से तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) और महिलाओं के लिये चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर आरक्षित किये जायेंगे। जहां तक जिला पंचायतों के अध्यक्षों के आरक्षण का प्रश्न है उसकी कार्यवाही राज्य स्तर पर पृथक से करने के प्रावधान हैं। जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा प्रवर्गवार आरक्षण दर्शाने वाले प्रपत्र का प्रारूप प्रसारित कर दिया गया है। समझने के लिये आरक्षण संबंधी उदाहरण भी दिये गये हैं। अति संक्षेप में कहें तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगे। इसी क्षेत्र की पंचायतों के वार्ड और जनपद तथा जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम पचास प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड, निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए अधिकतम 75 प्रतिशत के बचे हुए स्थान अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिये आरक्षित होंगे। सभी वर्गों में महिलाओं के लिये कम से कम आधे वार्ड लॉट निकालकर चक्रानुक्रम यानी बारी-बारी से आरक्षित होंगे।

● घनश्याम सक्सेना

तरक्की की तकनीकें सिखा गया किसान मेला

● राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में लगा पश्चिमी राज्यों का किसान मेला
● किसान एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने जानी कृषि तकनीकें, सीखे आमदनी दुगुनी करने के उपाय

ग्रामीणों एवं किसानों की तरक्की का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब वे नए अवसर एवं नयी कृषि तकनीकों को जान सकें उन्हें अपना सकें। इस दिशा में ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 28 से 30 जनवरी 2020 तक आयोजित कृषि उद्यमों द्वारा कृषकों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि मेला कृषि विजय 2020 एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इस मेले में देश के पश्चिमी राज्यों से हजारों किसान एवं पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। यहां एक ओर जहां उन सबके बीच तीन दिन तक व्यापक संवाद हुआ वहीं यहां उन्होंने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न कृषि संस्थानों द्वारा किसानों एवं ग्रामीणों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की। मेले में नवीनतम कृषि तकनीकों की सफलता देखकर पंचायत प्रतिनिधियों ने भी हुंकार भरी कि वे अपने अपने गांवों एवं क्षेत्रों में किसानों की आमदनी दुगुनी करने और इन सबके फायदे के लिये चैपालें लगाकर बतलाएंगे।

यह किसान मेला कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा संयुक्त रुप से किया जा रहा था। मेले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित पश्चिम क्षेत्रीय राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केन्द्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप तथा दादरा एवं नागर हवेली के हजारों किसान, पंचायत प्रतिनिधि, कृषि उद्यमी एवं शासकीय एवं निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे।

मेले के शुभारंभ अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रो. एस. के. राव ने कहा कि गांवों की तरक्की के लिए जरुरी है कि अब किसान खेती के साथ ही मुर्गीपालन, बकरीपालन, दुग्ध व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण को अपनाएं। इससे उनकी आमदनी खेती के साथ दुगुनी हो सकेगी। कुलपति राव ने जैविक कृषि का महत्व भी बताया एवं कहा कि कई राज्यों के किसान जैविक कृषि के जरिए अपनी उपज का बेहतर दाम पा रहे हैं। भविष्य जैविक कृषि का है इसलिए किसान इसे तेजी से अपनाएं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश की जनता को रोगमुक्त खाद्यान्न मिल सकेंगे।

मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न सत्रों में बताया कि किस कदर आज गांव-गांव में लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसका बड़ा कारण खेती में रासायनिक उर्वरकों का असंतुलन है एवं यह मिट्टी की सेहत के लिए खतरनाक है इसलिए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण किसानों को अवश्य कराना चाहिए। इससे वे मिट्टी की सेहत सुधार के साथ पैदावार बढ़ाने में भी सफल होंगे।

मेले में ग्वालियर जिले के किसानों, सरपंचों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजबल सिंह ने भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्टॉलों एवं उन पर प्रदर्शित तकनीकों का अवलोकन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सब आज यहां देख रहे हैं कि किस तरह किसानों की आमदनी को दुगुना करने इन

कृषि तकनीकों को अपनाया जा सकता है। अब हम अपने अपने गांवों एवं कार्यक्षेत्र में यहां से मिली जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे।

कृषि मेले में राजविजय फुलवारी आकर्षण का केन्द्र रही। इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प, फल एवं पौधों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। पश्चिमी राज्यों के गांव–गांव से आए किसानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने मेले का भ्रमण करते हुए फुलवारी में विभिन्न किस्मों के फल, फूल एवं खाद्य उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस किसान मेले की यह खासियत यह रही कि एक मंच के नीचे गांवों की आर्थिक तरक्की के कई रास्ते बताए जा रहे थे। प्रदेश भर के कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के संस्थानों ने अपने अपने क्षेत्र की उपयोगी जानकारी एवं तकनीकें किसानों एवं ग्रामीणों को रोचकता के साथ बताईं।

इसके साथ ही मेले में कृषि क्लीनिक, कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं बिक्री, उन्नत सिंचाई जल प्रबंधन तकनीकों का प्रदर्शन, कृषि तकनीक पार्क भ्रमण, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, कृषि तकनीकों पर वीडियो फिल्म एवं पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, मशरुम उत्पादन एवं कृषि उद्यमिता पर विकास प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र रही। इस मेले में कृषि तकनीक आधारित संगोष्ठियां, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, कृषक भ्रमण एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तीसरे दिन समापन मंच से संभागायुक्त ग्वालियर एम. बी. ओझा ने फल फूल, शाक सब्जी प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न ग्रामों के किसानों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है जबकि किसान का जीवन–यापन पूरी तरह खेती पर निर्भर है। ऐसे में जरूरत है कि किसान खेती के साथ व्यवसाय को अपनाएं जिससे उनकी स्थिर आय हो और

वे आर्थिक रुप से सशक्त हो सकें।

मंच से इस प्रोत्साहन पर प्रतिभागी किसानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने विदा लेते हुए कृषि वैज्ञानिकों से वादा किया कि उन्होंने तीन दिनों में जो सीखा है न केवल उसे खुद अपनाएंगे बल्कि अपने साथी किसानों एवं ग्रामीणों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। प्रतिभागियों के इस उत्साह से यह स्पष्ट हो गया कि हमारे गांव और किसान मेहनत में पीछे नहीं है। जरूरत है उन्हें समुचित जानकारी देने एवं तकनीक सिखाने की। इस लक्ष्य में पश्चिमी क्षेत्रीय किसान मेला आशातीत सफल रहा। मेले से कृषि वैज्ञानिकों का किसानों से व्यापक संवाद हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों ने किसानों एवं गांव की उन समस्याओं को वैज्ञानिकों के सामने रखा जिनसे कृषि तकनीक को अपनाने में बाधा आती है। कुल मिलाकर जानकारी एवं विचारों के आदान–प्रदान से यह आयोजन गांवों की खुशहाली के लिए एक सार्थक आयोजन साबित हुआ। हमारे गांवों और किसानों को ऐसे मंचों की निरंतर आवश्यकता है जिसे देकर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने सही दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया है।

● **विवेक पाठक**

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019–20 पंचों/सरपंचों, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ-16-1/2020/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक : 20 जनवरी 2020**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019–20 पचों/सरपंचों, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के षष्ठम् आम निर्वाचन 2019–2020 के लिए आप म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13(4)(5)(6) धारा 17(2)(3)(4) धारा 23(3)(4)(5) धारा 25 की उपधारा (2),(3) एवं (4) एवं धारा 30(3)(4)(5) एवं धारा 129–ड. के साथ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 एवं 6,7 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 तथा संशोधित राज पत्र क्रमांक 559 दिनांक 5 दिसम्बर 2014 का भलिभांति अध्ययन कर लें।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों का परिसीमन की कार्यवाही सितम्बर 2019 में की जा चुकी है एवं जनसंख्या के मान से उन पंचायतों में वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अवधारणा अनुसार वर्गवार आरक्षित होने वाले वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी निकाली जा चुकी है। सभी पंचायतों में वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की कार्यवाही की जाना है।

ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी उक्त पंचायत की कुल जनसंख्या के मान से अवधारित किए गए पदों के अनुसार की जाना है। इस हेतु वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाकर उसे अवरोही क्रम में वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया जाना है एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र का चक्रानुक्रम में लॉट निकालकर आरक्षण करने की कार्रवाई की जाना है।

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात ग्राम पंचायत के सरपंच और जनपद/जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद विभिन्न वर्गों के लिये चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर आरक्षण करने की कार्यवाही की जाना है। उपरोक्त कार्यवाही एक नियत समय–सीमा में की जानी है।

ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भिन्न–भिन्न हैं, जबकि महिलाओं के लिए स्थानों और पदों के आरक्षण के प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कुल स्थानों/पदों की संख्या में कम से कम आधे स्थान आरक्षण करने का प्रावधान एक समान है। इसलिए दोनों क्षेत्रों की आरक्षण प्रक्रिया की व्याख्या पृथक–पृथक नीचे दी जा रही है।

2. सामान्य (गैर–अनुसूचित) क्षेत्रों में विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान :–

2.1 ग्राम पंचायत के वार्ड, जनपद व जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षण

2.1.1. अ.जा. तथा अ.ज.जा. –

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) (एक) के अनुसार पंचों के वार्ड, धारा 23 की उपधारा (3)(एक) के अनुसार जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, धारा 30 की उपधारा (3)(एक) के अनुसार जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का आरक्षण क्रमशः ग्राम पंचायत क्षेत्र जनपद पंचायत क्षेत्र एवं जिला पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में

अ.जा./अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात (प्रतिशतता) के अनुसार अवरोही क्रम में होगा।

2.1.2.अन्य पिछड़े वर्ग :–

किसी पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिये 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित किए गये हों तो कुल स्थानों के पच्चीस प्रतिशत स्थान धारा 13(4)(दो) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत में वार्ड, धारा 23(3)(दो) के प्रावधान अनुसार जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा धारा 30(3)(दो) के प्रावधान अनुसार जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम से लॉट डालकर आरक्षित होंगे।

2.1.3. महिला वर्ग :–

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13(5)(6) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत में वार्ड धारा 23(4)(5) के प्रावधान अनुसार जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा धारा 30(4)(5) के अनुसार जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल स्थानों की संख्या से कम से कम आधे स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आशय यह है कि आधे स्थान जो महिलाओं हेतु आरक्षित हैं, उनमें भी आंतरिक रूप से विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण किया जावेगा।

2.1.4.उपरोक्तानुसार पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित चक्रानुक्रम (Rotation) से लॉट निकाल कर किया जावेगा।

स्पष्टीकरण–एक– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 256, भोपाल, दिनांक 25 मई 2007 में प्रकाशित संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (5) एवं (6) (ग्रम पंचायत के वार्ड), धारा 23 की उपधारा (4) एवं (5) (जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र) तथा धारा 30 की उपधारा (4) एवं (5) (जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र) में कम से कम आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

स्पष्टीकारण–दो– तीनों स्तर की पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग तथा भिन्न–भिन्न वर्गों में महिलाओं के लिए स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम (रोटेशन) से होगा अर्थात् गैर अनुसूचित क्षेत्र की जिस पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित हैं, तब उस पंचायत में पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम से आरक्षित किए जायेंगे।

उदाहरण–1. यदि किसी जिला/जनपद अथवा ग्राम पंचायत में कुल निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड 20 हैं तथा अ.जा. के लिए 03 स्थान (निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड) एवं अ.ज.जा. के लिए 02 स्थान (निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड) उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के प्रतिशतता के अनुसार आरक्षित किए गए हैं, और यह आरक्षण कुल निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों का 50 प्रतिशत से कम है, तब अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे अर्थात् कुल 20 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 05 स्थान (निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड) आरक्षित करना होंगे।

चक्रानुक्रम– से आशय है बारी–बारी (रोटेशन) से स्थान आरक्षण करना। अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम (रोटेशन) से स्थान आरक्षण करने की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनायी जाएगी :–

उदाहरण–2. अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थानों का आरक्षण–

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए कुल 20 कोरी पर्चियां ली जाएंगी जिन पर निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड क्रमांक 01 से 20 तक क्रमवार अंकों एवं शब्दों में पृथक–पृथक पर्चियों पर लिखा जाएगा। इन बीस पर्चियों में से उन निर्वाचत क्षेत्रों/वार्डों के क्रमांक की पर्चियां पृथक कर दी जाएंगी। जिनका निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड क्रमांक अ.जा. तथा अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षित किये जा चुके हैं। अर्थात् 20 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किये गये 05 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्ड की पर्चियां पृथक करने पर केवल 15 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्ड की पर्चियां शेष रहेंगी। इन पंद्रह निर्वाचन क्षेत्रों–वार्डों की पर्चियों में वर्ष 1994, 1999–2000, 2004–2005, 2009–2010 एवं 2014–2015 में जो निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जा चुके हैं उन्हें पृथक कर दिया जावेगा। उसके पश्चात् शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 स्थानों के लिये लॉट निकालने की कार्यवाही की जावेगी। यदि शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पर्चियों की संख्या 5 से कम है तो उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जावेगा इसके पश्चात निर्धारित 5 निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों की संख्या पूरी करने के लिए वर्ष 1994 में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के आरक्षण के लिये पर्चियां लॉट द्वारा निकाली जावेंगी। यदि वर्ष 1994 में आरक्षित अन्य पिछड़े वर्ग के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की संख्या से भी निर्धारित स्थानों की संख्या की पूर्ति नहीं होती है तब ऐसी स्थिति में वर्ष 1999–2000 में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से शेष रहे निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 5 स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

उदाहरण 3. महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण–

उपरोक्तानुसार निर्धारित संख्या में निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड का आरक्षण हो जाने के पश्चात सभी वर्गों में से महिलाओं के लिए प्रत्येक

वर्ग में 50 प्रतिशत अर्थात् आधे स्थान आरक्षण की कार्यवाही की जावेगी। अर्थात् जो निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड वर्तमान में महिला वर्ग के लिए आरक्षित है उन्हें छोड़कर शेष निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जावेंगे किन्तु किसी वर्ग में निर्धारित 50 प्रतिशत अर्थात् आधे निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं मिलते हैं तो फिर उक्त वर्ग में उपलब्ध निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड जो वर्ष 2014–2015 में महिला वर्ग के लिए आवंटित है में से चक्रानुक्रम हेतु लॉट निकाल कर शेष रहे निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों की पूर्ति की जावेगी।

तदनुसार विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित कुल वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों में से कम से कम आधे स्थान ग्राम पंचायत के वार्डों, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

2.1.5 ग्राम पंचायत के पंचों, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 तथा नियम 6 में बतलाई गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों को यथासाध्य उन वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किया जावेगा, जिनमें यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की **जनसंख्या की प्रतिशतता अवरोही क्रम में तत्स्थानी रूप से अधिक पाई जाए।**

2.1.6. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(4) या नियम 6 (6) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर अन्य वार्ड तथा निर्वाचन क्षेत्रों में कलेक्टर द्वारा चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर आवंटित किए जाएंगे।

2.1.7. महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यथास्थिति, निर्वाचन नियम के नियम 4(5), 4(6)(क), 4(6)(ग) अथवा नियम 6(5), 6(6)(क), 6(6)(ग) के अनुसार चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर होगा।

2.2 सरपंच तथा पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण :–

2.2.1. सरपंच पद के लिए खण्ड के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2),(3) एवं (4) के अनुसार चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर होगा।

2.2.2. इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्षों के लिए जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2),(3) एवं (4) के अनुसार चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर होगा।

स्पष्टीकरण :– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 256, भोपाल दिनांक 25 मई 2007 में प्रकाशित संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (3)(ग्राम पंचायत के सरपंच), धारा 25 की उपधारा (2) (अध्यक्ष जनपद पंचायत) तथा धारा 32 की उपधारा (2) (अध्यक्ष जिला पंचायत) में पंचायत प्रमुख के कम से कम आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

तदनुसार विभिन्न वर्गों के लिए, प्रमुखों के कम से कम आधे स्थान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

2.2.3. सरपंच पद पर आरक्षण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई है। आरक्षण चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर होगा।

2.2.4 जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 के अनुसार चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर होगी।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान:–

3.1 ग्राम पंचायत के वार्ड, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षण :–

3.1.1. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129–ड. (1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में उपरोक्त पदों की आरक्षण की संख्या का निर्धारण होगा। उक्त धारा के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में तीनों स्तरों की पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में होगा, **परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने वाले स्थान कुल संख्या के आधे से कम नहीं होंगे।**

3.1.2. अनुसूचित क्षेत्रों में तीनों स्तर की पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसे स्थान धारा 129 (ड.) (3) के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन–चौथाई से अधिक नहीं होंगे।

3.1.3. जिलों में ऐसी ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए जो अंशतः अनुसूचित क्षेत्रों में तथा अंशतः गैर–अनुसूचित क्षेत्र में होवें। ऐसे खण्ड अथवा जिले हो सकते हैं जिनका आंशिक हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इन जिलों/खण्डों में अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के अनुपात/मान से या कम से कम आधे स्थान, जो भी अधिक हो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करना होगा। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, अनुसूचति जनजाति तथा अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को साथ मिलाकर **कुल सीटों के तीन–चौथाई**

से अधिक नहीं होने दिया जायेगा।

3.1.4. आरक्षण की प्रक्रिया क्या हो, यह मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 तथा नियम 6 में बताया गया है। यथास्थिति नियम 4(3) या नियम 6(3) के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए स्थानों को यथासाध्य उन वार्डों में आवंटित किया गया जिनमें यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (जनगणना 2011) की कलेक्टर द्वारा निकाली गई प्रतिशतता, उसके द्वारा अवरोही क्रम में तत्स्थानी रूप से अधिक पाई जाए।

3.1.5. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिए गए वार्डों/निर्वाचत क्षेत्रों से शेष बचे वार्डों/निर्वाचित क्षेत्रों में यदि आवश्यक है तो लॉट डालकर चक्रानुक्रम से किया जावेगा। (नियम 4(4) एवं 6(4),) किंतु किसी भी दशा में आरक्षण तीन चौथाई से अधिक नहीं होगा।

3.1.6. महिलाओं के लिए आधे स्थान आरक्षण, निर्वाचन नियम के यथास्थिति नियम 4(5), 4(6)(क), 4(6)(ग) अथवा नियम 6 (5), 6(6)(ग) के अनुसार चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :– अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न प्रवर्ग की महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु वर्गवार अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा मुक्त (अनारक्षित) प्रवर्गों के लिए चक्रानुक्रम (Rotation) से स्थान आरक्षण की प्रक्रिया इस परिपत्र की कण्डिका–2 में उल्लेखित स्पष्टीकरण दो के अनुसार अपनाई जाएगी।

3.1.7 निर्वाचन नियम के नियम 4(6)(ड.) अथवा नियम 6(6)(ड.) के अनुसार पश्चातवर्ती आम निर्वाचन में उन स्थानों के प्रवर्गों के लिए जो लॉट डालकर तथा चक्रानुक्रम से आरक्षित किए जाने हैं, उस प्रवर्ग के लॉट निकालने से तब तक के लिए छोड़ दिया जाएगा, जब तक कि ऐसे समस्त वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग न कर लिया जाए।

3.1.8. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का आरक्षण धारा 129–ख के अधीन किया जाएगा। इसी तरह जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों/पदों का आरक्षण अधिनियम की धारा 129–ड. के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

3.2 सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण :–

3.2.1. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होंगे। इसी तरह पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले खण्ड की जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होंगे। (अधिनियम की धारा 129–ड़(1))

3.2.2. अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी ग्राम पंचायतें जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है (''जनसंख्या नहीं है'' से अभिप्रेत है कि अनुसूचित जनजातियों का कोई भी व्यक्ति सामान्यतः निवास नहीं करता है) को सरपंच के लिए अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षण से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

3.2.3. जिले में यदि कुछ खण्ड पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में हैं तथा कुछ गैर–अनुसूचित क्षेत्र में हैं तो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र वाले खण्डों में जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए ही आरक्षित होंगे। जिले के गैर–अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का यथास्थिति संबंधित प्रवर्ग के लिए निर्धारण होगा। इसी तरह अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) के प्रावधान अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित करने होंगे।

3.2.4. सरपंच तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम आधे स्थानों का आरक्षण क्रमशः धारा 17 की उपधारा (3) और (4) तथा धारा 25 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक और तृतीय परन्तुक के अनुसार होगा।

3.2.5. सरपंच पद के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में प्रावधान किया गया है।

3.2.6. जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 में विहित की गई है।

4. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4(6)(ख) के अनुसार ग्राम पंचायतों के वार्डों का आरक्षण, नियम 6(6)(ख) के अधीन जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की कार्यवाही की सूचना प्रकाशित करना विहित किया गया है।

5. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार सरपंच पद से लॉट निकालने के लिए नियत तिथि से पांच दिन पूर्व विहित प्रक्रिया अनुसार विनिर्दिष्ट स्थानों पर सूचना प्रकाशित करनी होगी।

6. जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचित नियम, 1995 के नियम 3 के उपनियम (4) में विहित प्रक्रिया अनुसार लॉट निकालने के पांच दिन पूर्व सूचना का प्रकाशन करना होगा।

7. ग्राम पंचायत के वार्डों व सरपंच पद के आरक्षण, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व अध्यक्ष, जनपद पंचायत के पदों के आरक्षण की स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए जारी तथा प्रकाशित किया जावेगा।

वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों का विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों के लिए आवंटन का कार्यक्रम :–

क्रमांक	कार्य विवरण	दिनांक
7.1	ग्राम पंचायत के वार्ड/तथा सरपंच पद के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना (जिसमें स्थान/तारीख/समय का उल्लेख होगा) की तिथि	20 जनवरी 2020 (सोमवार)
7.2	जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र/अध्यक्ष पद के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना (जिसमें स्थान/तारीख/समय का उल्लेख होगा) की तिथि	20 जनवरी 2020 (सोमवार)
7.3	जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना (जिसमें स्थान/तारीख/समय का उल्लेख होगा) की तिथि	20 जनवरी 2020 (सोमवार)
7.4	ग्राम पंचायत के वार्ड/सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही की तिथि	27 जनवरी 2020 (सोमवार)
7.5	जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही की तिथि	30 जनवरी 2020 (गुरूवार)

8. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 8 के अंतर्गत आरक्षण के आवंटन के लिए कलेक्टर अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता अवश्य ले सकते हैं, **परंतु ऐसी सूचनाएं/अधिसूचनाएं कलेक्टर के हस्ताक्षर तथा पदनाम से ही जारी होंगी।**
9. कण्डिका 7 में बतलाए गए कार्यक्रम अनुसार आरक्षण की कार्यवाही संपन्न करें। **जिले का संकलित विवरण संलग्न प्रपत्र I, II, III, IV एवं V में पृथक–पृथक पृष्ठों पर बनाए जाएं। दिनांक 03 फरवरी 2020 (सोमवार) की शाम 4.00 बजे तक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, अरेरा हिल्स, हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प चौराहा, भविष्य निधि कार्यालय के पास भोपाल (म.प्र.) तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को फैक्स/ई–मेल से उपलब्ध कराएंगे तथा प्रमाणित जानकारी विशेष वाहक से उसी दिन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।**
10. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल समस्त जिलों में आरक्षण संबंधी की गई कार्यवाही का संकलित प्रतिवेदन यथाशीघ्र राज्य सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
11. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की सुसंगत संशोधित धाराओं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के सुसंगत नियम तथा मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण हेतु सीटों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1991 का भली–भांति अध्ययन कर समय–सीमा में प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और अध्यक्ष जनपद पंचायत के पद विभिन्न वर्गों के लिए चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर आरक्षित होंगे। इसी प्रकार पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत के वार्ड और जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम से तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर आरक्षित किये जावेंगे।

जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण संबंधी कार्यवाही राज्य स्तर पर पृथक से की जाएगी।

संलग्नः– प्रपत्र I, II, III, IV एवं V

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र–I पंचों के लिए ग्राम पंचायतों का वार्ड विभाजन एवं आरक्षण का समेकित प्रतिवेदन

क्र.	विकास–खंड का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वार्डों की कुल संख्या	प्रवर्गवार वार्डों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या					रिमार्क
				अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
योग													

दिनांक.....

(हस्ताक्षर/नाम)
कलेक्टर
.....(जिला)

प्रपत्र–II ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का आरक्षण का समेकित प्रतिवेदन

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	ग्राम पंचायत में प्रवर्गवार सरपंच पदों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या					रिमार्क
			अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
योग												

दिनांक.....

(हस्ताक्षर/नाम)
कलेक्टर
.....(जिला)

प्रपत्र–III जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण – समेकित प्रतिवेदन

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत में निर्वाचन के क्षेत्रों की कुल संख्या	जनपद पंचायत में प्रवर्गवार निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या					रिमार्क
			अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
योग												

दिनांक.....

(हस्ताक्षर/नाम)
कलेक्टर
.....(जिला)

प्रपत्र–IV जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण – समेकित प्रतिवेदन

क्र.	जिले का नाम	जिले में जनपद पंचायतों की कुल संख्या	जनपद पंचायत में अध्यक्ष पदों का प्रवर्गवार आरक्षण				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या					रिमार्क
			अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
योग												

दिनांक.....

(हस्ताक्षर/नाम)
कलेक्टर
.....(जिला)

प्रपत्र–V जिला पंचायत में उसके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या व प्रवर्गवार आरक्षण दर्शाने वाला पत्रक

क्र.	जिले का नाम	जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण				केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की संख्या					रिमार्क
			अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित (सामान्य)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
योग												

दिनांक.....

(हस्ताक्षर/नाम)
कलेक्टर
.....(जिला)

संक्षेपण :–
अजा – अनुसूचित जाति
अजजा – अनुसूचित जनजाति
अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग
अनारक्षित – सामान्य
निर्देश – प्रपत्र I, II, III, IV एवं V के लिए पृथक–पृथक प्रपत्र में जानकारी दी जाए।

विभिन्न वर्गों के लिए ग्राम पंचायत के वार्डों का आरक्षण
धारा 13(4), धारा 13(5) तथा धारा 13(6)

उदाहरण –

ग्राम पंचायत रामपुर की कुल जनसंख्या 3500 है। इसमें अनुसूचित जाति 570 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति 385 हैं। ग्राम पंचायत में कुल वार्ड 20 निर्धारित हैं।

विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार वार्ड आरक्षित होंगे :–

क	–	(1) कुल जनसंख्या –	3500	कुल जनसंख्या में अ.जा. तथा अ.ज.जा. का प्रतिशत		
		(2) अ.जा. –	570	16 प्रतिशत		
		(3) अ.ज.जा. –	385	11 प्रतिशत		
ख	–	(1) कुल वार्ड				20 वार्ड
		(2) कुल 20 वार्डों में अ.जा. 16 तथा 1 अ.ज.जा. की 11 जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में आरक्षित होने वाले वार्डों की संख्या				
				अ.जा.	3.2	03 वार्ड
				अ.ज.जा.	2.02	02 वार्ड
ग	–	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत वार्ड		अपिव.	05	05 वार्ड
घ	–	महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या		कुल	20	10 महिला
				अ.जा.	03	02 महिला
				अ.ज.जा.	02	01 महिला
				अ.पि.व.	05	03 महिला
				अनारक्षित	10	04 महिला

जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए सरपंच पद का आरक्षण
धारा 17(2), धारा 17(3) तथा धारा 17(4)

उदाहरण –

जनपद पंचायत (विकासखंड) – भोजनगर की कुल जनसंख्या 180000 है। अनुसूचित जाति 18720 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 9360 है। जनपद पंचायत भोजनगर में कुल 72 ग्राम पंचायतें हैं।

विभिन्न वर्गों के लिए सरपंच पद निम्नानुसार आरक्षित होंगे :–

क	–	**अनुसूचित जाति**				
		(1) विकासखंड की कुल जनसंख्या	–	180000		
		(2) अनुसूचित जाति की जनसंख्या	–	18720		
		(3) कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिशत	–	10.04		
		(4) खंड के भीतर कुल ग्राम पंचायतें	–	72		
		(5) अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	–	7.2	(7) अ.जा.	04 महिला
ख	–	**अनुसूचित जनजाति**				
		(1) विकासखंड की कुल जनसंख्या	–	180000		
		(2) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	–	9360		
		(3) कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिशत	–	5.02		
		(4) खंड के भीतर कुल ग्राम पंचायतें	–	72		
		(5) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	–	3.51	(4) अ.ज.जा.	02 महिला

ग	–	**अन्य पिछड़े वर्ग**	
		(1) अ.जा. तथा अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	– 10.04 अ.जा. 5.02 अ.ज.जा. 15.06 कुल
		(2) धारा 17 की उपधारा (2)(दो) के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होने वाली ग्राम पंचायतें 25 प्रतिशत	– कुल ग्राम पंचायत 72 का 25 प्रतिशत ग्रा.पं.–18 09 महिला
घ	–	**आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या**	महिलाओं के लिए
		(1) कुल ग्राम पंचायत – 72	– 36
		(2) अ.जा. – 07	– 04
		(3) अ.ज.जा. – 04	– 02
		(4) अन्य पिछड़ा वर्ग – 18	– 09
		(5) अनारक्षित – 43	– 21

जनपद पंचायत में विभिन्न वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण – धारा 23(3)(4)(5)

उदाहरण –

जनपद पंचायत (विकासखंड) – गोपालपुर की कुल जनसंख्या 180000 है। अनुसूचित जाति 18720 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 9360 है। जनपद पंचायत गोपालपुर में कुल 25 वार्ड हैं।

विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित पद निम्नानुसार आरक्षित होंगे :–

	जनपद पंचायत का नाम	गंगानगर (कुल वार्ड 25)
	कुल ग्रामीण जनसंख्या	180000 (एक लाख अस्सी हजार)
	अ.जा. की ग्रामीण जनसंख्या	18720 (एक लाख आठ हजार सात सौ बीस)
	अ.ज.जा. की ग्रामीण जनसंख्या	9360 (नौ हजार तीन सौ साठ)
	कुल निर्वाचन	25
क	– **अनुसूचित जाति**	
	1. कुल जनसंख्या में अ.जा. का प्रतिशत	10.4 प्रतिशत
	2. कुल निर्वाचन क्षेत्रों में से जनसंख्या के अनुपात में अ.जा. के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	2.6 अर्थात् 03 पद अ.जा.
ख	– **अनुसूचित जनजाति**	
	1. कुल जनसंख्या में अ.ज.जा. का प्रतिशत	5.2 प्रतिशत
	2. कुल निर्वाचन क्षेत्रों में से जनसंख्या के अनुपात में अ.ज.जा. के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	1.3 प्रतिशत अर्थात् 01 पद अ.ज.जा.
ग	अधिनियम की धारा 30(3)(दो) के प्रावधान अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	6.25 प्रतिशत अर्थात् 06 पद

घ – **महिला वर्ग के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या –**

1. अ.जा.	कुल पद 3	02 पद महिला वर्ग
2. अ.ज.जा.	कुल पद 1	01 पद महिला वर्ग
3. अ.पि. वर्ग	कुल पद 6	03 पद महिला वर्ग
4. अनारक्षित	कुल पद 15	08 पद महिला वर्ग

(**टीप** :– जनपद/जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का नियमों में प्रावधान एक समान है।)

जिला पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष जनपद पंचायत के पदों का आरक्षण
धारा 25 की उपधारा (2),(3) एवं (4)
जिले में कुल 8 जनपद पंचायत (विकासखण्ड) हैं
इन जनपद पंचायत में अध्यक्षों के पदों का आरक्षण विभिन्न वर्गों के लिए निम्नवत् होगा।

उदाहरण –

जिला पंचायत – भैरवगढ़ की कुल जनसंख्या 4,60,000 है। अनुसूचित जाति 80,000 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,20,000 है। जनपद पंचायत भैरवगढ़ में कुल 8 जनपद पंचायतें हैं।

विभिन्न वर्गों के लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद निम्नानुसार आरक्षित होंगे :–

	जिला पंचायत का नाम	भैरवगढ़
	कुल ग्रामीण जनसंख्या	4,60,000 (चार लाख साठ हजार)
	अ.जा. की ग्रामीण जनसंख्या	80,000 (अस्सी हजार)
	अ.ज.जा. की ग्रामीण जनसंख्या	1,20,000 (एक लाख बीस हजार)
	कुल जनपद पंचायत	8 (आठ)
क –	**अनुसूचित जाति**	
	1. कुल जनसंख्या में अ.जा. का प्रतिशत	17.30 प्रतिशत
	2. कुल 8 जनपद पंचायतों में से जनसंख्या के अनुपात में अ.जा. के लिए निर्धारित जनपद पंचायतों की संख्या	01 पद अ.जा.
ख –	**अनुसूचित जनजाति**	
	1. कुल जनसंख्या में अ.ज.जा. का प्रतिशत	26.08 प्रतिशत
	2. कुल 8 जनपद पंचायतों में से जनसंख्या के अनुपात में अ.ज.जा. के लिए निर्धारित जनपद पंचायतों की संख्या	02 पद अ.ज.जा.
ग –	अधिनियम की धारा 25(3)(दो) के प्रावधान अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	02 पद

घ – महिला वर्ग के लिए निर्धारित जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों की संख्या –

1.	अ.जा.	कुल पद 1	01 पद महिला वर्ग
2.	अ.ज.जा.	कुल पद 2	01 पद महिला वर्ग
3.	अ.पि. वर्ग	कुल पद 2	01 पद महिला वर्ग
4.	अनारक्षित	कुल पद 3	01 पद महिला वर्ग

जिला पंचायत अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण धारा 30(3)(4)(5)
जिले में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 10 है।
इन निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण विभिन्न वर्गों के लिए निम्नवत होगा।

उदाहरण –

जिला पंचायत – भैरवगढ़ की कुल जनसंख्या 4,60,000 है। अनुसूचित जाति 80,000 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,20,000 है। जिला पंचायत भैरवगढ़ में कुल 8 जनपद पंचायतें हैं।

विभिन्न वर्गों के लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद निम्नानुसार आरक्षित होंगे :–

	जिला पंचायत का नाम	भैरवगढ़
	कुल ग्रामीण जनसंख्या	4,60,000 (चार लाख साठ हजार)
	अ.जा. की ग्रामीण जनसंख्या	80,000 (अस्सी हजार)
	अ.ज.जा. की ग्रामीण जनसंख्या	1,20,000 (एक लाख बीस हजार)
	कुल निर्वाचन क्षेत्र	10 (दस)
क –	**अनुसूचित जाति**	
	1. कुल जनसंख्या में अ.जा. का प्रतिशत	17.30 प्रतिशत
	2. कुल 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से जनसंख्या के अनुपात में अ.जा. के लिए निर्धारित जनपद पंचायतों की संख्या	02 पद अ.जा.
ख –	**अनुसूचित जनजाति**	
	1. कुल जनसंख्या में अ.ज.जा. का प्रतिशत	26.08 प्रतिशत
	2. कुल 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से जनसंख्या के अनुपात में अ.ज.जा. के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	03 पद अ.ज.जा.
ग –	अधिनियम की धारा 30(3)(दो) के प्रावधान अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत जनपद पंचायतों की संख्या	03 पद

घ – महिला वर्ग के लिए निर्धारित जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों की संख्या –

1.	अ.जा.	कुल पद 2	01 पद महिला वर्ग
2.	अ.ज.जा.	कुल पद 3	02 पद महिला वर्ग
3.	अ.पि. वर्ग	कुल पद 3	02 पद महिला वर्ग
4.	अनारक्षित	कुल पद 2	01 पद महिला वर्ग

अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण
धारा 129ड.

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण प्रावधान

1. अनुसूचित क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायतों के प्रमुख (सरपंच एवं अध्यक्ष पद) पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के वार्ड और जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र कम से कम पचास प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे।
3. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए अधिकतम 75 प्रतिशत के अवशेष स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे।

उदाहरण :–

1. ग्राम पंचायत में कुल 20 वार्ड।
2. अ.ज.जा. वर्ग के लिए पचास प्रतिशत अर्थात् 10 वार्ड तथा अ.जा. वर्ग के लिए 02 (अ.जा. जनसंख्या के अनुपात में) वार्ड आरक्षित हैं तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 75 प्रतिशत के प्रावधान के आधार पर (कुल 20 का 75 प्रतिशत वार्ड 15 होते हैं) अर्थात् केवल 03 वार्ड आरिक्षत होंगे।
3. अ.ज.जा. तथा अ.जा. वर्ग के लिए निर्धारित संख्या में वार्ड आरक्षित होंगे, जिन वार्डों में इन वर्गों की जनसंख्या अवरोही क्रम में अधिक है।

उदाहरण :–

1. प्रथमतः अ.ज.जा. वर्ग के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत वार्ड जनसंख्या के अवरोही क्रम में आरक्षित होंगे।
2. अनुसूचित जाति के लिए 02 वार्ड निर्धारित हैं।
3. जिन वार्डों में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी के दो वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे।
4. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 03 वार्ड लॉट निकालकर चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे। अर्थात् जो वार्ड मत निर्वाचन के दौरान आज आरक्षित हों वे वार्ड लॉट निकालते समय पृथक रखे जाएंगे।
5. प्रथमतः अ.ज.जा., अ.जा. के लिए निर्धारित वार्ड आरक्षित होंगे तत्पश्चात् अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अवशेष वार्डों में से लॉट निकालकर 03 वार्ड आरक्षित होंगे।
6. सभी वर्गों में महिलाओं के लिए कम से कम आधे वार्ड लॉट निकालकर चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे। अर्थात् पहले अ.ज.जा. के लिए निर्धारित वार्ड संख्या 10 की पर्चियां बर्तन में डाली जाएंगी तथा पांच पर्चियां निकलवाई जाएंगी।

तत्पश्चात क्रमशः अ.जा., अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित वार्डों की पर्चियां पृथक–पृथक बर्तन में डालकर महिलाओं के लिए निर्धारित संख्या में वार्डों की पर्चियां निकलवाई जाएंगी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में दिये जाने वाले पुरस्कारों के लिए अधिकाधिक नामांकन हेतु प्रचार–प्रसार

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
Telephon No. 0755–2557727, Fax No. 0755–2552899, E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./एफ–1–1710/2019/424 **भोपाल, दिनांक : 8.1.2020**

प्रति,

1. आयुक्त
   जनसंपर्क, मध्यप्रदेश
   भोपाल।

विषय :– राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में दिये जाने वाले पुरस्कारों के लिए अधिकाधिक नामांकन हेतु प्रचार–प्रसार बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। आगामी 24 अप्रैल के पुरस्कारों हेतु ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http://panchayataward.gov.in के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते हैं। नामांकन निर्धारित ऑनलाइन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों हेतु किये जा सकेंगे, मूल्यांकन वर्ष 2018–19 के आधार पर होगा –

1. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP) – सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को।
2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार (NDRGGSP) – ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु।
3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (GPDP) – ग्राम पंचायत को।
4. बाल–हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA) – ग्राम पंचायत को।

उपरोक्त पुरस्कारों हेतु नामांकन दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक प्रस्तुत किये जाना है। यह ध्यान रखा जाना है कि पांचवीं अनुसूची (PESA) क्षेत्र की जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायतें आनुपातिक रूप से अधिक संख्या में अपने नामांकन प्रस्तुत करें। यह भी ध्यान रखा जाना है कि प्रदेश के समस्त क्षेत्रों से नामांकन प्राप्त हों। एक जिले से 02 जनपद पंचायतों एवं 02 ग्राम पंचायतों से अधिक नामांकन अग्रेषित न किये जावें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपने जिले से हो रहे नामांकनों की सतत् मॉनीटरिंग करेंगे।

जिला पंचायत को प्रमाण–पत्र के साथ राशि रु. 50.00 लाख, जनपद पंचायत को प्रमाण–पत्र के साथ राशि रुपये 25.00 लाख एवं ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ राशि रुपये 05 लाख से 15 लाख तक पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।

पंचायतों के चयन का कार्य राज्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जावेगा। प्रथम स्तर खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार–विमर्श/साक्षात्कार के आधार पर होगा, आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियो के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।

अतः उपरोक्तानुसार पुरस्कारों का राज्य स्तर पर एवं राज्य के समस्त जिलों में स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का अनुरोध है।

(संदीप यादव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.